लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 5, गुरुवार, 25 मार्च, 1971/4 चैत्र, 1893 (शक)
No. 5, Thursday, March 25, 1971/Chaitra 4, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
छोटे सिक्कों की कथित कमी	Reported shortage of small coins	1—4
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	5
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	6—8
रेलवे बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की माँगें (रेलवे), 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेलवे), 1970-71	Railway Budget, 1971-72—General Discussion, Demands for Grants on Account (Railways), 1971-72 and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1970-71	8—26
श्री रामचन्द्र विकल	Shri R. C. Vikal	17—18
श्री एन० श्रीकान्तन् नायर	Shri N. Sreekantan Nair	18
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	18—19
श्री पी० के० देव	Shri P. K Deo	19—20
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	20
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	20—21
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	22—24
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1971—पुरःस्थापित	Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 1971—Introduced	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	26—29
श्री एस० एल० सक्सेना	Shri S. L. Saxena	27
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun	27—28
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	28
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	28
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	29
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1971—पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Railways) Bill, 1971 Introduced and passed	29—30
मणिपुर बजट 1971-72—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की माँगें (मणिपुर), 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की माँगें (मणिपुर), 1970-71	Manipur Budget, 1971-72—General Discussion, Demands for Grants on Account (Manipur), 1971-72 and Demands for Supplementary Grants (Manipur), 1970-71	31—37

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb	... 31—32
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	... 32—33
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	... 33—34
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	... 34
मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971—पुर:स्थापित तथा पारित	Manipur Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971—Introduced and Passed	... 38—39
मणिपुर विनियोग विधेयक, 1971—पुर:स्थापित तथा पारित	Manipur Appropriation Bill, 971 Introduced and Passed	... 39—40
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1970-71	Demands for Supplementary Grants (General), 1970-71	... 40—52
श्री डी० एन० भट्टाचार्य	Shri D. N. Bhattacharya	... 41—42
श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी	Shri M. R. Gopal Reddy	42
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	... 43—44
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	... 44
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	... 44—45
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	... 45—46
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	... 46—47
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	... 47—49
विनियोग विधेयक, 1971—पुर:स्थापित तथा पारित	Appropriation Bill, 1971—Introduced and Passed	... 53—54
सामान्य बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा	General Budget, 1971-72—General Discussion	... 54—63
श्री के० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	... 54—55
श्री सरोज मुकर्जी	Shri Saroj Mukerjee	... 55—57
श्री एम० बी० राणा	Shri M. B. Rana	... 57—58
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	... 58—60
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	... 60—61

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 25 **मार्च**, 1971/4 **चैत्र**, 1893 (**शक**)

Thursday, March 25, 1971/Chaitra 4, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में रेजगारी की कथित कमी

श्री एम० एम० कृष्ण (माण्ड्या) : श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"देश में रेजगारी की कथित कमी"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, देश के कुछ केन्द्रों में सिक्कों की कमी होने के बारे में समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। सरकार को पता है कि पिछले कुछ समय से ऐसी शिकायतें बढ़ गयी हैं। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक उन केन्द्रों पर स्थित अपने छोटे सिक्कों के डिपुओं को, जहाँ से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, अतिरिक्त सिक्कों की सप्लाई करता रहा है। रिजर्व बैंक अपने काउंटरों के जरिये भी भारी संख्या में छोटे सिक्के जारी करता रहा है। सरकार ने सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाये हैं। इस प्रयोजन के लिए, हैदराबाद और अलीपुर में स्थित टकसालें क्रमशः 19 अक्तूबर और 10 नवम्बर, 1970 से 60 घंटे प्रति सप्ताह काम कर रही हैं जबकि पहले इनमें सप्ताह में 48 घंटे काम होता था। बम्बई स्थित टकसाल में जनवरी, 1970 के मध्य

से 9-9 घंटों की दो पारियाँ शुरू की गयी हैं और इसके साथ-साथ कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन-योजना भी शुरू की गई है। अलीपुर टकसाल में भी प्रोत्साहन-योजना सहित काम की दो पारियाँ शुरू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। अब तक किये गये उपायों के परिणाम-स्वरूप, टकसाल का औसत दैनिक उत्पादन बढ़ कर 35 लाख सिक्के हो गया है जबकि उस समय उत्पादन 12 लाख सिक्कों का था, जब सप्ताह में 48 घंटे काम होता था। आशा है कि टकसालों में सिक्कों का उत्पादन, 1970-71 के 5,500 लाख सिक्कों से बढ़ कर अगले वर्ष 18,550 लाख हो जाएगा। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि उत्पादन में वृद्धि होने से, सिक्कों की पूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा और कुछ इलाकों में सिक्कों की जो कमी अनुभव की जा रही है, वह धीरे-धीरे दूर हो जाएगी।

श्री एस० एम० कृष्ण : देश में रेजगारी की कमी ने मुद्रा स्फीति की स्थिति को और खराब कर दिया है और जो विवरण दिया गया है उसमे आभास मिलता है कि माननीय मंत्री महोदय ने समस्या की गम्भीरता को नहीं समझा। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को माल उसी स्थिति में दिया जाता है यदि उनके पास पूरे पैसे हों। यह अनुभव बहुत ही दुखजनक है। देश के सभी भागों में ऐसा हो रहा है। बम्बई में "फूड ग्रेन डीलर्ज एसोसियेशन" ने राशन कार्ड धारियों को इसी प्रकार की चेतावनी दी है। मोदीनगर के दुकानदारों ने अपनी स्वयं की मुद्रा बनाली है। दिल्ली में दिल्ली परिवहन की बसों में एक रुपये का नोट भाड़े में देने पर बकाया प्राप्त करने के लिए परिवहन के मुख्यालय में जाना होता है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल में लगभग २० करोड़ रुपये की रेजगारी घिस जाने के कारण चलन से हटा ली ? दूसरे, बम्बई की टकसाल ने विदेशों के लिए सिक्के बनाने का आर्डर लिया ? आन्तरिक माँग के पूरा न कर पाने की स्थिति में होते हुए भी केवल विदेशी मुद्रा के अर्जन के विचार से विदेशी आदेश की पूर्ति करना अदूरदर्शिता है।

तीसरे, देश में रेजगारी में कुछ चोर बाजारी भी चल रही है। सरकार ने हाल में निकल तथा ताँवे का मूल्य बढ़ाया था, उसके परिणामस्वरूप मुनाफाखोर सिक्कों को गला रहे हैं। इसके लिए एक रुपये के नोट के बदले में 85 पैसे के सिक्के दिये जाते हैं। इस प्रकार की काला बाजारी में तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं समस्या के महत्व को कम करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो केवल स्थिति उत्पन्न होने के कारण बताये हैं। मैं कुछ और ब्यौरे देता हूँ जिससे कि माननीय सदस्य इस बात का जायजा ले सकें कि यह स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई।

वर्ष 1968-69 में रिजर्व बैंक ने 10,268 लाख सिक्कों के लिए टकसालों को आदेश दिये। इस माँग की तुलना में टकसालों ने 14,246 लाख सिक्कों की पूर्ति की। 1969-70 के लिए अपनी माँग का कार्यक्रम बनाते समय रिजर्व बैंक ने इसे 10,268 लाख सिक्कों से घटाकर 4,700 लाख सिक्के कर दिया। इसके अनुरूप विभिन्न टकसालों में उत्पादन भी घटा दिया गया। उत्पादन क्षमता तो अधिक थी परन्तु रिजर्व बैंक की माँग के अनुरूप विभिन्न टकसालों के उत्पादन को भी घटाना पड़ा था।

इसके पश्चात् जब यूनान एवं थाइलैंड से राज्य व्यापार निगम के जरिए आदेश प्राप्त हुए तो उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यह कार्य बम्बई की टकसाल के लिए था।

इसके पश्चात् रेजगारी की कमी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने लगीं। तब हमने विभिन्न टकसालों में, विशेष रूप से बम्बई तथा अलीपुर की टकसालों में, एक "क्रैश-कार्यक्रम" तैयार किया। हैदराबाद टकसाल की मशीनें बहुत पुरानी हैं अतः उनका पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं हो सकता। बम्बई की टकसाल में हमने दो पारियाँ लागू कर दी हैं तथा शीघ्र ही अलीपुर की टकसाल में भी 'प्रोत्साहन-योजना' के साथ दो पारियाँ लागू कर दी जायेंगी।

माननीय सदस्य द्वारा बताये गये अन्य दोनों कारण भी काफी हद तक ठीक हैं। 1-2 पैसे, 5 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों में 'एलॉय' धातु के कारण लोगों में उन्हें जमा करके गलाने तथा इस धातु को निकालकर अन्य उद्देश्यों में उपयोग करने की प्रवृत्ति आ गई। अब हमने इन छोटे सिक्कों की धातु-प्रकार को बदलने के कदम उठाये हैं। इस सारे कार्यक्रम के द्वारा शीघ्र ही यह कमी समाप्त हो जायेगी।

30 करोड़ रुपयों के मूल्य के छोटे सिक्कों को परिचालन से हटा लेने के संबंध में स्थिति यह है कि घिस जाने के कारण सिक्के खराब भी हो जाते हैं और नियमित रूप से उन्हें परिचालन से हटाना पड़ता है। परन्तु इसका एक कारण यह भी था कि इससे उनके गलाये जाने को रोका जा सकेगा परन्तु इस संबंध में रिजर्व बैंक में प्राप्तियाँ सन्तोषजनक नहीं हुई हैं। कुल सिक्कों की लगभग २ प्रतिशत मात्रा ही वापस प्राप्त हुई है।

विदेशी आदेश तो फालतू क्षमता होने के कारण स्वीकार किये गये थे और अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब जब तक स्थिति में पूर्णतया सुधार नहीं होता, विदेशी आदेश स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सिक्कों के दुरुपयोग के संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि न तो हम सिक्कों के जमा करने वालों और न ही उन्हें गलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया सिक्कों की धात्विक-मात्रा में परिवर्तन करके ही हम इसे रोक सकते हैं।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : रेजगारी की यह कमी देश में लगभग एक साल से है। यह बहुत ही दुख की बात है कि सरकार इस बात का पूर्वानुमान लगाने और लोगों की सहायता करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में असफल रही है। दूसरे देशों के लिए सिक्के बनाना गलत नहीं परन्तु देश के लोगों की माँग की पूर्ति करना सरकार का पहला उत्तर-दायित्व है।

क्या सरकार ने सिक्कों की इस जमाखोरी के विरुद्ध छापे मारे हैं ? सिक्कों के धात्विक मूल्य और उनके प्रत्यक्ष-मूल्य में क्या अन्तर है ?

जैसा कि आपने कहा कि यह कमी शीघ्र दूर हो जायेगी परन्तु देश तो यह जानने का इच्छुक है कि यह कमी निश्चित रूप से कब तक दूर हो जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब तक किसी निश्चित संख्या या मात्रा से अधिक सिक्के जमा करना कानूनी जुर्म न हो तब तक छापे मार कर इन्हें जब्त करने की कायवाही नहीं की जा सकती । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्कों के प्रत्यक्ष मूल्य तथा उनके धात्विक मूल्य में लगभग दो गुना अन्तर है । अतः सिक्कों की धात्विक मिलावट को बदला जाना है । यह स्थिति विशेष रूप से अवमूल्यन के पश्चात् उत्पन्न हुई है । इनमें से अधिकतर "एलॉय" आयातित होते हैं । तब से यह अन्तर कुछ और बढ़ गया है ।

सिक्कों की कमी से उत्पन्न स्थिति को सुधारने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती । परन्तु फिर भी इसमें अधिक समय नहीं लगेगा ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : There is shortage of coal and kerosene oil in the country and now there is shortage of small coins. The hon. Minister has stated that it is a temporary shortage but still he can not be definite about the date when the situation would ease. I would like to know since when this shortage is there and what steps have been taken to ease it. Government should give some positive reply. If this situation is due to metallic composition of coins what steps are being taken to change the composition and to see that such a situation does not develop again ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already stated that during 1968-70 we had surplus small coins. Therefore, the Reserve Bank reduced coinage programme to 4,700 lakh pieces from about 13,000 lakh pieces. After this we started receiving complaints about shortage. After that Bombay and Alipore Mints have started functioning in double shifts.

Production has doubled and is being raised further, due to steps taken by the Government. I can, therefore, say that the situation would ease shortly. Then there are people who indulge in black marketing. To check this tendency effectively it becomes imperative that availability is increased to a great extent.

As I have already stated the metallic value of the coins was more in comparision to the face value. We started taking action since 1968, especially since last two years to change the metallic composition of the coins, so that the metallic value of the coins would not be more than their face value. Government is not complacent towards this and we should not create such feelings in the minds of public because that would create sense of hoarding among people. I hope we would be able to control the situation soon.

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) : There is acute shortage of small coins in the country and especially in Bihar. I would like to know whether some permanent solution of this problem has been thought so that such a situation does not arise in future ?

I would also like to know whether you are going to frame such an Act so that hoarders of coins could be brought to book ? By what time such a Bill would be brought forward ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It would be very difficult to enforce such an Act. The more effective way is to increase the availability. We have increased the production. The shortage is likely to be covered soon.

Another factor was melting of these coins. We have removed that factor also. There were two steps to be taken to check this temporary shortage and its recurrence and we have adopted these. It is hoped that the situation would shortly become normal. There is no need for any law as it would not be effective.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस प्रकार की बातें हमारे देश में प्राय: होती रही हैं। सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करे कि सिक्कों का धात्विक मूल्य किसी भी स्थिति में उस सिक्के के प्रत्यक्ष मूल्य से अधिक न हो। होशंगाबाद के सिक्योरिटी प्रेस में कागज का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार एक रुपये से कम मूल्य के नोट भी चलाये।

सिक्कों के निर्यात की बात ठीक है और सरकार को यह करना भी चाहिए परन्तु देश की आन्तरिक माँग का भी ध्यान होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो हम देश में एक और टकसाल की स्थापना करें जिससे कि न केवल निर्यात में सुविधा हो अपितु वह टकसाल देश की माँग की पूर्ति में भी सहायक हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रुपये से कम मूल्य के करेन्सी नोटों से यह समस्या हल न होगी। इसका केवल मात्र हल उनकी सुलभ उपलब्धता में है। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार अतिरिक्त टकसालों की स्थापना के कदम उठायेगी परन्तु अभी इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है।

देश में सिक्कों की माँग का त्रैमासिक और वार्षिक मूल्याँकन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और सिक्कों के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जाता है, उसी कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन किया जाता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार यंत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार यंत्र (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2030 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—13/71]**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Sir, I request that the Adiournment motion tabled by me should be reconsidered. Thousands of ballot papers have been seized from a private godown in Chandigarh. These ballot papers are with me in this box. Besides, these are serial wise and belong to different constituencies. It is a serious matter and must be looked into. We have also raised this matter with the Election Commission but there the authorities were not able to give any cogent reply. Therefore, the hon. Law Minister should be asked to make a statement in this House in this regard.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। क्या आपको ये बैलट पेपर किसी प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त हुए हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हाँ, वह एक भूतपूर्व संसद सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूँ। वह एक गुट के नेता हैं किन्तु मेरे विचार से इस प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस पर अदालत ही फैसला कर सकेगी अथवा इसके संबंध में निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

मैंने इस प्रश्न के तथ्यात्मक पहलू पर भी विचार किया है। यदि इन तथ्यों की ओर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ध्यान दिलाया जाता तो यह प्रक्रिया उपयुक्त होती। इसका कारण यह है कि यदि मंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में पहले कोई जाँच कराई जाये तो संभव है वह निर्वाचन आयोग को उचित न लगे और फिर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई जाँच का रुख बदल जाये।

जहाँ तक दूसरे मामले का सबंध है आप उस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

श्री एस० एन मिश्र (कन्नौज) : महोदय ! इस संबंध में मैं भी आपसे मिला था। इस संबंध में जनता बहुत चिंतित है। आपके समक्ष जो तथ्य रखे गये हैं उनका स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। मंत्री महोदय से यह पूछा जाये कि इतने मत पत्र वहाँ कैसे आये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में तुरंत कोई उत्तर नहीं दे सकता कि क्या ऐसे मामले पर सदन में कोई चर्चा हो सकती है अथवा नहीं।

श्री एस० एन० मिश्र : यदि इतनी महत्वपूर्ण समस्या पर भी सदन में विचार विमर्श नहीं किया जायेगा तो इसका कोई महत्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को परामर्श देता हूँ कि वह इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष उठाएं ···। (**व्यवधान**)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, because these ballot papers belong to different constituencies, election petition cannot be filed. The hon. Law Minister should ask the

Election Commission to enquire into this matter. After that the findings of the enquiry should be conveyed to the House.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री बाजपेयी ने जिस मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराया उससे ज्ञात होता है कि प्रथम दृष्टया यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इस संबंध में कुछ स्पष्टीकारण दिया ही जाये। मेरे विचार से इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि संबद्ध मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : अन्ततोगत्वा इस मामले पर विचार निर्वाचन आयोग को ही करना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय, आपने कहा है कि इस बारे में निर्वाचन आयोग से बात की जाये किन्तु निर्वाचन आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। अब हम क्या करें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कृपया विधि मंत्री से इस संबंध में एक वक्तव्य दिलाएं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक दल के नेता से ऐसी आशा नहीं है। इस मामले का संबंध भारतीय निर्वाचन आयुक्त से है तथा उसकी नियुक्ति सदन द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा होती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र * * (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्ष खड़ा हो और उस समय कोई सदस्य कोई टिप्पणी करते हैं तो उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने हमें निर्वाचन आयोग के पास जाने को कहा था किन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं। इस परिस्थिति में आप का क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि अब विधि मंत्री से कहा जाये कि वह निर्वाचन आयोग से कुछ जाँच करने के लिए कहें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कोई समाधान तो मिलना ही चाहिए **(व्यवधान)**

श्री एच० एन मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस बात का पता लगने के बाद यदि सरकार कुछ कहना चाहे तो विधि मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री इस बारे में क्यों न प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मेरे चैम्बर में विचार विमर्श किया गया था तथा मैंने उन्हें बताया था कि सम्भवत: यह मामला ऐसा है जिस पर आयोग द्वारा अदालती जाँच हो सकेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : न्यायिक जाँच के आदेश कौन देगा ?

---

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* * Not recorded.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपके विनिर्णय को स्वीकार करता हूँ किन्तु समस्या यह है कि मत पत्र यहीं कुछ माननीय सदस्यों के पास हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। मैं आपके विनिर्णय से सहमत होता यदि ये मत पेटियाँ कहीं और स्थान पर तोड़ी हुई मिलतीं। अत: यह पता लगाना अत्यंत आवश्यक है कि माननीय सदस्यों के हाथों में ये मत पत्र कैसे आये।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय ! यह वास्तव में चिंता का विषय है कि ये मत पत्र इस प्रकार कैसे प्राप्त हुये। कई माननीय सदस्यों ने अपने सहयोगियों पर विभिन्न आरोप लगाये हैं। अत: यह अत्यंत गम्भीर मामला है और हम इसे इसी प्रकार समाप्त नहीं कर सकते। जब सदन के समक्ष इतने मामले आये हैं तो संसद का यह कर्त्तव्य है कि कम से कम इस मामले में न्यायिक जाँच कराये अथवा सरकार से कोई वक्तव्य दिलाये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : महोदय ! मैं श्री एस० एन० मिश्र की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहती हूँ कि नियम 41 (XVIII) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिस मामले से एक मंत्री सरकारी तौर पर संबद्ध नहीं है, उस मामले पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कोई वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मेरा अभी भी यही मत है कि यह मामला निर्वाचन आयोग से सम्बद्ध है। जहाँ तक चुनावों का संबंध है, निर्वाचन आयोग पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है। अब मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा और अब कुछ रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री पी० के० देव * *

रेलवे बजट 1971-72—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की माँगें (रेलवे) तथा अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेलवे), 1970-71 (जारी)

RAILWAY BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (RAILWAYS) 1971-72, AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS 1970-71—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में मद संख्या 4, 5 और 6 पर आगे विचार किया जायेगा। इन तीनों मदों पर चर्चा करने के लिए पाँच घन्टे का समय नियत किया गया था और अब केवल एक घन्टा और बीस मिनट इसके लिए शेष हैं।

---

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* * Not recorded.

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहें, वे कृपया 15 मिनट में सभा पटल पर पर्ची रख दें जिसमें कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिख दें । उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा ।

रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की माँगों तथा लेखानुदानों की माँगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	रेलवे बोर्ड का समाप्त किया जाना और सभी जोनों के लिए कर्मचारियों के एक रूप का बनाया जाना	राशि घटाकर 1 रुपया ढाँचे करदी जाये ।
1	2	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	सभी कर्मचारियों के लिए 'प्रतिदिन आठ घंटे की ड्यूटी लागू की जाने की आवश्यकता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	29	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	त्रिवेन्द्रम-केप लाइन पर काम आरम्भ करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	30	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	बम्बई तथा कोचीन को मिलाने वाली पश्चिम तटीय रेलवे लाइन के सर्वेक्षण को पूरा करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	31	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	त्रिवेन्द्रम-कोचीन रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	100 रुपये
1	32	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	कायमकुल्लम एलेभी तथा कोचीन को मिलाने वाली तटीय लाइन बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
13	37	श्री विजय कृष्ण मोदक	पूर्वी रेलवे पर बांडेल रेलवे स्टेशन के नवीकरण की आवश्यकता	100 रुपये
13	38	श्री विजय कृष्ण मोदक	पूर्वी रेलवे के तारकेश्वर और कटवा सैक्शन में दोहरी लाइन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	100 रुपये

1	2	3	4	5
13	39	श्री विजय कृष्ण मोदक	पूर्वी रेलवे के तारकेश्वर तथा बांडेल-नइहट्टी सैक्शन पर और अधिक गाड़ियाँ चलाने की आवश्यकता	100 रुपये
13	40	श्री मोहम्मद इस्माइल	उपनगरीय सैक्शनों में मासिक टिकट के किराये में कमी करने की आवश्यकता	100 रुपये
13	41	श्री मोहम्मद इस्माइल	पूर्वी रेलवे के सियालदह सैक्शन में दमदम और बेलघेरिया के बीच नेयोर में एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
13	42	श्री मोहम्मद इस्माइल	पूर्वी रेलवे के सियालदह सैक्शन में श्यामनगर और कनकीनका के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
13	43	श्री मोहम्मद इस्माइल	लिलौह वर्कशाप के कर्मचारियों को, जिनके पक्ष में उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया गया है, $4\frac{1}{2}$ घन्टे की मजूरी देने की आवश्यकता	100 रुपये
10	55	श्री सरोज मुकर्जी	निम्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों तथा शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था न करना	100 रुपये
10	57	श्री सरोज मुकर्जी	पूर्व रेलवे के बुंदेलकटवा सैक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता	100 रुपये
13	58	श्री डी० एन० भट्टाचार्य	हावड़ा-अमता तथा हावड़ा-शेखाला लाइट रेलवे और बिहार की अन्य लाइट रेलवे को नियंत्रण में लेने की आवश्यकता	100 रुपये
13	59	श्री डी० एन० भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे पर सवारी-डिब्बों में विद्युत बहु एकक (ई० एम० यू०) में वृद्धि करने की आवश्यकता	100 रुपये

1	2	3	4	5
13	60	श्री डी० एन० भट्टाचार्य	सीरामपुर और वैद्यावती में ग्रांड ट्रंक रोड पर पूर्व रेलवे के रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
13	61	श्री डी० एन० भट्टाचार्य	कलकत्ता नगर में सर्कुलर रेलवे को शीघ्र बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
13	62	श्री मनोरंजन हाजरा	आराम बाग उप-मंडल में कोतुलपुर से होकर तारकेश्वर से बांकुरा तक जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाने में असफलता	100 रुपये
14	63	श्री बीरेन दत्त	धर्मनगर से अगरतला तक रेल लाइन का विस्तार	100 रुपये
1	68	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित वेतन देने में असफलता	राशि घटा-कर 1 रुपया कर दी जाये।
1	69	श्री रामावतार शास्त्री	19 सितम्वर, 1968 की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के संबंध में गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापस लेने में असफलता	राशि घटा-कर 1 रुपया कर दी जाये।
1	72	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में कमी करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	73	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे के उच्च अधिकारियों को उनकी यात्रा के लिए सैलून देने की पद्धति को समाप्त करने में असफलता	100 रुपये
1	74	श्री रामावतार शास्त्री	बरौनी औद्योगिक बस्ती की 20 किलो-मीटर परिधि के अन्दर आने वाले स्टे-शनों, जैसे बरौनी, गधारा, बेगूसराय, हथिदय, मोकामेह घाट और मोकामेह पर काम करने वाले कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने में असफलता	100 रुपये

1	2	3	4	5
1	75	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के धनवाद डिवीजन में रेलवे सुरक्षा दल के एक हवलदार द्वारा एक एक रेलवे कर्मचारी के साथ हाथापाई करने के विरुद्ध विरोधस्वरूप गत 3 फरवरी से 10 फरवरी तक रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के संबंध में उनके विरुद्ध की गई कार्य-वाही को रद्द करने की आवश्यकता	100 रुपये
2	76	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे पर पटना-गया लाइन को दोहरी लाइन में बदलने के लिए तुरन्त सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
2	77	श्री रामावतार शास्त्री	बिहटा रेलवे स्टेशन से जहानाबाद तक बिक्रम, पालीगंज, अरवल और कुर्था होकर एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
3	78	श्री रामावतार शास्त्री	गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही रेलवे लाइनों का शुद्धीकरण करने में असफलता	100 रुपये
7	80	श्री रामावतार शास्त्री	कोयले की चोरी रोकने में विफलता	100 रुपये
1	82	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे बोर्ड की निरर्थकता को ध्यान में रखते हुए उसे बन्द करने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	83	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे बोर्ड की श्रमिक विरोधी नीति को बदलने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	84	श्री रामावतार शास्त्री	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त ध्यान देने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	85	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने में भेद-भाव समाप्त करने में विफलता तथा इस संबंध में अनुचित विलम्ब	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	86	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों तथा कठिनाइयों को समय पर दूर करने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1	87	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे की चोरियों में वरिष्ठ अधिकारियों की साँठ-गाँठ को समाप्त करने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	88	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा रेलवे प्रशासन के बड़े अधिकारियों की नौकरशाही प्रवृत्ति को बदलने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	89	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में घाटे को रोकने में विफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
2	96	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के जहानाबाद स्टेशन से राजगृह तक अकनगर सराय होकर एक नई रेलवे लाइन के निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
2	97	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के गया स्टेशन से राजगृह तक एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	99	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे यूनियनों को मान्यता प्रदान करने की वर्तमान कसौटी में परिवर्तन करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	100	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे यूनियनों को गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता	100 रुपये
1	101	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबंधित संघों को मान्यता देने की आवश्यकता	100 रुपये
7	102	श्री रामावतार शास्त्री	खान मालिकों से बढ़िया किस्म के कोयले के नाम पर घटिया किस्म के कोयले की खरीद को रोकने तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	103	श्री रामावतार शास्त्री	विलम्ब शुल्क के रूप में होने वाली करोड़ों रुपये की हानि को रोकने में असफलता	100 रुपये
10	104	श्री रामावतार शास्त्री	समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सैन्ट्रल स्कूल खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
10	105	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के लिए असंतोष-जनक चिकित्सा सुविधाएं	100 रुपये
10	106	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के लिए असंतोष-जनक जलपान व्यवस्था	100 रुपये
1	112	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में ऐवजी में रखे गये श्रमिकों को नियमित करने में विफलता	100 रुपये
1	113	श्री रामावतार शास्त्री	नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने में विफलता	100 रुपये
1	114	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के राजेन्द्र नगर स्टेशन पर गाड़ियाँ ठहराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	115	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के पटना जंकशन स्टेशन के दक्षिण में दक्षिणी पटना के नागरिकों की सुविधा के लिए एक बुकिंग कार्यालय बोलने की आवश्यकता	100 रुपये
1	116	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे पर राजेन्द्र नगर लेवल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	117	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे पर पटना जंकशन स्टेशन के निकट मीठापुर पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	100 रुपये
2	118	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा और मोतीहारी के बीच सीधा रेल-सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये

1	2	3	4	5
2	119	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे पर सीतामढ़ी और मेहसी के बीच सीधा रेल-सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
2	120	श्री कमल मिश्र मधुकर	मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच सीधा रेल-सम्पर्क स्थापित करधे के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	100 रुपये
2	121	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे में छपरा तथा मोतीहारी को मिलाने वाले डूमरिया घाट पुल को रेलवे पुल में बदलने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये
2	122	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा और रोतारा के बीच की संकरी लाइन को मीटर लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये
2	123	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-रकसौल रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये
2	124	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ और मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये
2	125	श्री कमल मिश्र मधुकर	समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक एक बड़ी लाइन के निर्माण की आवश्यकता	100 रुपये
2	126	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे में हाजीपुर से सगौली तक वरास्ता लालगंज, देवरिया, साहब गंज, केसरिया और गोविन्दगंज एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये
2	127	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे में सोनपुर से समस्तीपुर तक एक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये

1	2	3	4	5
2	128	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर से नरकटिया गंज तक सीधी रेलवे लाइन डालने की व्यवहार्यता की संभावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता	100 रुपये
1	141	श्री कमल मिश्र मधुकर	विरोधी दलों द्वारा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की निरंतर आलोचना किये जाने तथा इसके जन-विरोधी रवैये की निरंतर आलोचना के बावजूद रेलवे बोर्ड को बनाये रखने की निरर्थकता	100 रुपये
1	142	श्री कमल मिश्र मधुकर	रेलवे बोर्ड को ऐसे ढंग से पुनर्गठित करने की आवश्यकता जिससे कि इसकी कार्य नीतियाँ तथा कर्त्तव्य सरकार की समाजवाद की घोषित नीति के अनुरूप हो जायें	100 रुपये
1	143	श्री कमल मिश्र मधुकर	ब्रिटिश काल से रेलवे बोर्ड को दी जाने वाली सुविधाओं को वापिस लेने में असफलता यद्यपि इन सुविधाओं के अलोकतंत्रीय स्वरूप की आलोचना की गयी है	100 रुपये
2	151	श्री कमल मिश्र मधुकर	जंजीर क खेंचने की घटनाओं को बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए प्राविधिक अनुसंधान की आवश्यकता	100 रुपये
2	152	श्री कमल मिश्र मधुकर	रेलवे निरीक्षण व्यवस्था में असफलता	100 रुपये
2	153	श्री कमल मिश्र मधुकर	जापान और अमरीका को रेलवे मिशन भेजने की निरर्थकता	100 रुपये
2	154	श्री कमल मिश्र मधुकर	रेलवे के प्रचार विभाग की विफलता क्योंकि यह न तो बिना टिकट यात्रा को रोक सका है और न कोई अन्य कार्य कर सका है	100 रुपये
4	157	श्री कमल मिश्र मधुकर	माल को सुरक्षित रूप से ढोये जाने की व्यवस्था करने में रेलवे के सुरक्षा विभाग की असफलता	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र विकल अब अपना भाषण आगे जारी रखें।

SHRI R. C. VIKAL (Baghpat) : Sir, yesterday I was trying to invite the attention of the hon. Minister to the issue of Sahadra-Saharanpur light Railway which has been closed. As a result of the closure of the said railway line the people are facing much inconvenience and difficulty and a number of business markets on this line have been much adversely affected. Numerous students, Government employees and milk suppliers have been facing difficulties. In this context, I would like to say that the people of this region have been subjected to unemployment, poverty and helplessness, due to the closure of this line.

So many memoranda have been given to the Prime Minister and the Ex-railway Minister who gave an assurance that in case the company was not able to run the said railway line, we would try to run the same on co-operative basis. I urge upon the hon. Minister that the company should be forced to run the said railway line on co-operative basis. The way in which the company has calculated its accounts and has shown a loss is not correct. If it is enquired into property you will find that it did not suffer any loss. I would also like to say that large property is lying useless. Railway Stations are there. Rolling stocks and other things required for its operation are also available. Therefore, I feel that if Government is interested in taking over this railway line, they will not find any difficulty in running this railway line.

Apart from this, Government also cannot justify the closure of this railway line with the plea that it would be unremunerative. The hon. Minister has himself admitted that there are other railway lines which are running in loss. I think that due to loss only this line is being closed.

I request the hon. Minister that this is a serious matter and should be enquired into as soon as possible.

Now, I come to the other problems. It has been observed that certain railway employees get the articles stolen away so that claims on railway can be made. In this way Government is suffering and the amount of claims paid by the Railways is increasing. I suggest that the working and the procedure for putting claims in regard to the article stolen should be examined. An Enquiry Committee should be appointed to look into the matter.

Due to the shortage of railway wagons so many brick-kilns are not working. It is also adding to the unemployment in the country. The owners of brick-kilns are not getting the supplies of coal and it is again due to the shortage of wagons. Therefore, I request the hon. Minister that necessary steps should be taken immediately in this regard.

It has also been noted that the correct number of casualties due to the Railway accidents has not been told in this house by the authorities. Railway Department should try to minimise the accidents.

It is an open secret that the railway employees indulge themselves in making money through unfair means. For example, seats are reserved in the third class in the name of fictitious persons. If some care is taken in this matter this problem can be solved.

I request the hon. Minister that he should try to fulfil the demand of the Bulandshahr region and the city of Bulandshahr should be connected to the main railway line.

It is also obligatory on the part of the hon. Minister that he should himself study the various problems of the people by visiting the different places rather than indulging

himself in dealing with the problems only in the files. I hope the hon. Minister would realise the difficulties of the people and try to solve them.

अध्यक्ष महोदय : प्रतिपक्ष के लिए नियत समय समाप्त हो गया है। अब एक घंटा शेष है। माननीय मंत्री को कितना समय चाहिए ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तय्या) : श्रीमन्, लगभग 30 सदस्यों ने कुछ बातें उठाई हैं। उनकी बातों के उत्तर देने के लिए मुझे कम से कम आध घंटा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रतिपक्ष को अधिक समय नहीं दिया जा सकता। श्री नायर और कुछ निर्दलीय सदस्यों को समय दिया जाएगा।

श्री एन० श्रीकान्तन् नायर (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं केवल उन कटौती प्रस्तावों को पढ़ रहा हूँ जो मेरे नाम पर हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को समाप्त किये जाने के बारे में तथा सभी जोनों में कर्मचारी-ढाँचे में एकरूपता लाने के बारे में है। दूसरे कटौती प्रस्ताव में मैंने इस बात की आवश्यकता भी बताई है कि सभी कर्मचारियों के लिए आठ घंटे प्रतिदिन की ड्यूटी निश्चित होनी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ कि मंत्री महोदय इन दो बातों पर ध्यान देंगे। जहाँ तक स्थानीय समस्याओं का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि केरल में रेलवे का विस्तार बहुत ही कम हुआ है। केरल में एक लाख की जनसंख्या पर 3 मील रेलवे लाइन है जबकि अन्य राज्यों में यह औसत 9 या इससे भी अधिक है। पश्चिमी घाट रेलवे लाइन योजना पूरी होनी चाहिए। त्रिवेन्द्रम से कुमारी अन्तरीप तक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है। एलप्पी कस्बे का संबंध रेलवे द्वारा कोचीन से जोड़ा जाना चाहिए।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : श्रीमन्, मैं रेलवे मंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत किये गये लेखानुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ। किन्तु साथ ही मुझे इस संबंध में दुःख भी हुआ है कि रेलवे का बजट घाटे का बजट है जबकि रेलवे उद्योग पर सरकार का एकाधिकार है। यह एक गम्भीर मामला है। इस मामले में जाँच की जानी चाहिए ताकि इसकी जानकारी हो सके कि रेलवे को हानि किन कारणों से हो रही है और उन कमियों को दूर किया जा सके। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस संकेत से मुझे खुशी हुई है कि परम्परा समिति रेलवे की नई वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करेगी।

बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की यह माँग है कि उनकी सुविधा के लिए रेलवे आयोग की एक शाखा दानापुर में खुलनी चाहिए। इसके लिए पहले मंत्री ने आश्वासन भी दिया था। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान मंत्री इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

रेलवे कर्मचारियों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि हम चाहते हैं कि कर्मचारियों एवं श्रमिकों तथा प्रबंधकों में संबंध अच्छे रहें। किन्तु विपक्षी सदस्य यह नहीं चाहते। वे तो कहते हैं कि रेलवे के श्रमिकों की जितने भी छोटे-बड़े श्रमिक संघ बने हैं, उन सभी को मान्यता दे दी जानी चाहिए। ऐसा करने से रेलवे के संचालन में राजनीति प्रवेश कर जायेगी और श्रमिकों का हित पीछे पड़ जायेगा। जितने अधिक श्रमिक संघ होंगे, श्रमिकों में उतनी ही कम एकता होगी। अतः सरकार द्वारा स्वीकृत 'एक उद्योग के लिए एक संघ' की नीति सर्वोत्तम है। अतः श्रमिक संघों की

अधिकता को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। संभवत: विरोधी दलों के सदस्य यह मानते हैं कि किसी उद्योग में जितनी बार तर्कसम्मत हड़तालें होंगी उतना ही श्रमिकों का हित होगा। परन्तु हम यह नहीं मानते हैं। हड़ताल की नौबत तो उस समय आती है जब तर्कसम्मत संवैधानिक तरीके श्रमिकों की शिकायतें दूर करने में असफल हो जाते हैं। अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो लोग अपने संगठनों के माध्यम से राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करते हैं अथवा राष्ट्र की सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं, उन्हें कठिन से कठिन दंड दिया जाना चाहिए। साथ ही जो लोग दलगत हितों के लिए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन दें, उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। इसी संबंध में मैं एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों को आवास की सुविधा बहुत कम उपलब्ध है और रेलवे को एक ऐसी आवासीय योजना तैयार करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत रेलवे कर्मचारी अपने निजी घर बना सकें। इस योजना के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को विकसित भूखंड, मकान बनाने के लिए ऋण आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिएं। मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री मेरी इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह चिंता का विषय है कि इस अंतरिम रेलवे बजट में 33 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। हम 1966-67 से वित्तीय अनुशासन रखने को कहते आ रहे हैं परन्तु हमारी बात पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि विकास निधि का धन कम होता जा रहा है। अब सामान्य राजस्व को दी जाने वाली कुल देय राशि 1971-72 में 153·60 करोड़ रुपये हो गई है।

रेलवे की यह ऋणग्रस्तता खराब वित्त प्रबंध के कारण है। रेलवे वित्त की समस्याएं जादू से दूर नहीं की जा सकती हैं अपितु इसके प्रति नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके सभी स्तरों में कार्यक्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस वर्ष रेलवे का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। इसका कारण यह बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था खराब रही है। मैं यह कहना चाहूँगा कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के उपरान्त ही कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। रेलवे मंत्रालय ऐसा कहकर अपने उत्तरदायित्य से नहीं बच सकता कि कानून तथा व्यवस्था के बिगड़ने के कारण ही स्थिति खराब हुई है।

हम यह कहते आ रहे हैं कि मुगलसराय स्टेशन में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के हत्यारों को पकड़ा जाये तथा उनकी रहस्यमय मृत्यु की और आगे जाँच की जाये, परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया है।

बिना टिकट यात्रा करना साधारण बात हो गई है। चोरी तथा रेलवे माल की उठाईगीरी में वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में जाली दावे किये जा रहे हैं।

रेलवे ने अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की सर्वथा उपेक्षा की है। 38,000 वाणिज्यिक लिपिकों की सेवा स्थिति पहले के समान है।

नैमित्तिक कर्मचारियों को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से सेवा करते रहने पर भी उनको स्थायी नहीं किया गया है। यह एक बड़ी गम्भीर तथा शोचनीय स्थिति है।

मैं कटक-पारादीप-बिमलागर-ताल्चेर क्षेत्र की चर्चा करना आवश्यक समझूंगा। यह आश्चर्य की बात है कि पारादीप बन्दरगाह को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है। कटक-पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है। इसमें काफी विलम्ब हो गया है। सरकार का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि देतारी खानों के लिए साइडिंग का निर्माण लागत भार उड़ीसा खनन निगम तथा रेलवे साथ-साथ उठायेंगी।

ताल्चेर बिमलागर-कोरिया घाटी लाइन तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है, यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लायें ताकि लोहा, मेंगनीज़ अयस्क, कच्चा लोहा तथा इस्पात कारखानों के इस्पात उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

श्री बीरेन दत्त : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या 60 धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने के बारे में है।

त्रिपुरा तीन ओर से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। आसाम से संबंध केवल सड़क द्वारा ही है। हम रेलवे मंत्रालय से बार-बार कहते आये हैं कि त्रिपुरा को आसाम के साथ रेल द्वारा जोड़ा जाये, परन्तु दुर्भाग्यवश इन तमाम अवधि में कुछ भी नहीं किया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप त्रिपुरा की जनता को समाचार-पत्र तथा अन्य आवश्यक सामग्रियाँ समय पर नहीं मिल पाती हैं जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

त्रिपुरा के सभी वर्गों के लोगों ने रेलवे लाइन बिछाने की माँग को पूरा करने के लिए एक समिति बनाई है। इसी संबंध में विभिन्न दलों ने एक सम्मेलन भी किया था। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अप्रैल 15 से विभिन्न दल इस माँग को पूरा करने के लिए सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करने वाले हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के 15 लाख शरणार्थियों को बसाया जाना है। विभाजन के पश्चात् त्रिपुरा का सड़क द्वारा शेष भारत से संबंध टूट गया है, फिर भी त्रिपुरा सरकार शरणार्थियों को बसाने का कार्य धैर्य के साथ कर रही है। परन्तु बिना समुचित रेलवे व्यवस्था के वहाँ उद्योग कैसे पनप सकते हैं, इस समय वहाँ कोई उद्योग नहीं है तथा कृषि भी बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में है। हमारा सभी विकास कार्यक्रम रेलवे व्यवस्था ठीक बनाने से ही हो सकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे बजट में से कुछ धन की व्यवस्था धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए करें। रेलवे लाइन का न होना हमारे लिए एक बड़ी समस्या है तथा इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कार्यवाही करें अन्यथा अप्रैल से सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ होने वाला है।

श्री मोहासिन (धारवाड़ दक्षिण) : यह प्रसन्नता का विषय है कि मैसूर ने तीन रेलवे मंत्री दिये हैं, परन्तु ऐसा होते हुए भी मैसूर राज्य में रेलवे के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है।

ऐसा लगता है कि रेलवे बोर्ड मंत्रियों से अधिक शक्तिशाली हैं। रेलवे बोर्ड जनता की हर मांग की उपेक्षा कर देता है। मंत्रियों को रेलवे बोर्ड के आगे झुकना पड़ता है। रेलवे बोर्ड ने

अपना ध्यान देश के दक्षिण क्षेत्र की ओर न देकर उत्तर क्षेत्र की ओर ही दिया है । यही कारण है कि मैसूर में रेलवे के मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है ।

जहाँ तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रश्न है, वह केवल पूना से मिराज़ तक है । इसके अतिरिक्त छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव गुंटकल से हास्पेट तक का है । हास्पेट से गोवा अथवा हास्पेट से हुबली तथा मिराज़ से बंगलौर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस बारे में हमेशा यह उत्तर दिया जाता है कि सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । हमें वर्तमान रेलवे मंत्री पर बड़ा विश्वास है तथा आशा है रेलवे बोर्ड का अनुकरण नहीं किया जायेगा ।

हास्पेट से यह बड़ी लाइन में बदलने का कार्य गोवा तक ले जाया जाना चाहिए ताकि लौह अयस्क को गोवा के बन्दरगाह से जहाज द्वारा भेजा जा सके ।

मेरा यह भी अनुरोध है कि हुबली से करवार तक नई रेलवे लाइन बिछायी जाये जिससे लोहा तथा मेंगनीज को जहाज द्वारा भेजने में सुविधा हो सके । यह एक पुरानी माँग है । सम्पूर्ण उत्तरी कनारा जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है । हम हुबली से करवार अथवा सिरसी होते हुए हवेरी से करवार तक रेलवे लाइन बिछा सकते हैं ।

दक्षिण मध्य क्षेत्र नाम का एक नया क्षेत्र बनाया गया है परन्तु मैसूर डिवीज़न दक्षिणी क्षेत्र है और हुबली डिवीज़न दक्षिण मध्य क्षेत्र में है । दोनों क्षेत्रों को दक्षिण क्षेत्र अथवा दक्षिण मध्य क्षेत्र में रखा जा सकता है, यह कार्य सैक्शनों के साथ भी किया जा सकता है । हुबली-हरिहर सैक्शन मैसूर डिवीज़न में है जबकि गुंटककल-ड्रानअचलम सैक्शन को हुबली डिवीज़न में रखा गया है । यह एक आश्चर्यजनक बात है, इसको ठीक किया जाना चाहिए तथा कम से कम हुबली-हरिहर सैक्शन को हुबली डिवीज़न में रखा जाना चाहिए ।

राजधानी एक्सप्रेस की सेवा केवल दिल्ली से कलकत्ता तक है, दक्षिण की ओर ऐसी कोई सेवा आरम्भ नहीं की गई है । इस पर पहले भी विचार किया जाना चाहिए था तथा देश के प्रत्येक क्षेत्र में राजधानी एक्सप्रेस जैसी सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यात्रियों की प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मुझे यह कहना है कि बहुत से स्टेशनों पर पेय जल की व्यवस्था नियमित नहीं है । प्रत्येक स्टेशन में प्रतीक्षालय की भी व्यवस्था नहीं है । कई स्थानों पर प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म नहीं है, जिनसे यात्रियों को भारी असुविधा होती है । सिकन्दराबाद और हुबली के बीच तेज चलने वाली कोई रेलगाड़ियाँ नहीं हैं । हमें गुंटकल में रेलगाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं । सिकन्दराबाद से और हुबली और शोलापुर से हुबली तक तेज तथा नियमित रूप से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलाई जानी चाहिएं ।

बम्बई से मंगलौर तक एक पचिश्मी तट रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है जो कि सम्पूर्ण मालनाड क्षेत्र को मिलायेगी । इस क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब इसका उत्तर देंगे ।

रेलवे मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : इस वाद-विवाद में एक विशेष बात यह रही है कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार संक्षेप में रखे हैं तथापि वे सारवान हैं । उन्होंने जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को सामने रखा है ।

वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रथम सदस्य ने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखे हैं । सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच संबंधों में एक नया युग आरम्भ हो । राष्ट्रपति महोदय ने यह सुझाव दिया था कि कार्मिक संघों के नेताओं और प्रबंधकों के बीच वार्ता हों ताकि औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके । उन्होंने ठीक ही बताया है कि औद्योगिक संबंधों में सुधार लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूँजी और प्रौद्योगिकी । हमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वेतन व मजूरी बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संपूर्ण रूप से उत्पादन बढ़ाना । साम्प्रदायिक तत्वों का दमन करके उन्हें राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाना है । एक तरफा दृष्टिकोण या किसी विशेष वर्ग की वकालत करना असंगत होगा । श्रमिक का अपना अधिकार है तथा अपना उत्तरदायित्व भी है । एक तरफा अधिकार तथा उत्तर-दायित्व पर जोर देने से असंतुलन पैदा होता है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग तथा अन्य विभिन्न समितियों ने श्रमिक तथा प्रबंधक समस्या का अध्ययन किया है । इस विषय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । श्रमिक तथा प्रबंधक के मध्य संबंध के बारे में कानून पुराने पड़ गये हैं । इन सबको अब नया रूप देना पड़ेगा । यदि संयुक्त प्रबन्ध के सिद्धान्त को कार्यरूप दिया जाये तो हड़ताल तथा आन्दोलन स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे ।

मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने रेलवे प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर दिलचस्पी दिखाई है । रेलवे प्रशासन के संबंध में बनाये गये अध्ययन दल में विद्वान सदस्य थे । आयोग ने इस संबंध में 49 दुरगामी सिफारिशें की हैं । उसने कहा है कि रेलवे को सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य करने में समर्थ होना चाहिए । रेलवे का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, अतएव व्यापार तथा वाणिज्यिक सिद्धान्तों का अर्थ रेलवे में कार्यक्षमता और मितव्ययिता का उच्च स्तर बनाये रखने में है । 49 सिफारिशों में से 6 को स्वीकार कर लिया गया है तथा अन्य विचाराधीन हैं । मुझे आशा है कि नया मंत्रिमंडल आयोग की सभी प्रशासन संबंधी सिफारिशों की जाँच करेगा । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं ताकि कार्यक्षमता का उच्चतम स्तर बनाए रखा जा सके ।

मैं रेलवे वित्त के बारे में एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ । यह विचार प्रकट किया जाता है कि रेलवे कोई लाभ नहीं दे रही है । जब मैंने चालू वर्ष के पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान में 23·69 करोड़ रुपये तथा आगामी वर्ष के लिए 33·12 करोड़ की कमी बताई थी तो इसका तात्पर्य चालू वर्ष के सामान्य राजस्व में 165·81 करोड़ रुपये और आगामी वर्ष के लिए 173·77 करोड़ रुपये का लाभांश देने से था । दूसरे शब्दों में इस वर्ष 100 करोड़ रुपये तथा आगामी वर्ष 105 करोड़ रुपये पूर्ण मूल्य-ह्रास प्रभार तथा अन्य दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् 3,321 करोड़

रुपये और 3,472 करोड़ रुपये पर क्रमशः 142·12 करोड़ रुपये तथा 140·65 करोड़ रुपये आय अर्जित करेगा।

इसके अतिरिक्त रेलवे 1,275 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित रेलवे योजना में 525 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। इसके साथ-साथ चालू-लाइन निर्माण राजस्व में कम निधि-शेष तथा अन्य मदों पर कर लगाकर रेलवे 116 करोड़ रुपये देगी।

कुछ माननीय सदस्यों के इस विचार से मैं सहमत हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में तथा इतनी बड़ी धन राशि के दावे अनिर्णीत नहीं रहने चाहिएं। वस्तुतः इन दावों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान किया जाना चाहिए तथा इसके लिए उचित उपायों की खोज की जानी चाहिए। इस संदर्भ में मैं प्रबंधकों की अपेक्षा कर्मचारियों के दायित्व को अधिक महत्व देता हूँ। कर्मचारियों को यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि चोरी तथा टूट-फूट की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर न हों जैसा कि इस समय हो रहा है। मैं नहीं कह सकता कि कर्मचारियों और प्रबंधकों के भावी परस्पर संबंधों को सुधारने के बारे में हम जो परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें इन चोरियों तथा टूट-फूट संबंधी दायित्वों का भी समावेश होता है या नहीं।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को उचित मानता हूँ। नई लाइनों, ऊपरी तथा भूमिगत पुलों, लाइनों को दोहरा करने, अधिक रोक-स्थलों तथा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों आदि की माँगें पूर्णतया न्यायोचित हैं। इन माँगों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं इन माँगों पर पूरी तरह विचार करूँगा तथा उपलब्ध धन स्रोतों के आधार पर उन्हें यथासंभव पूरा करने का प्रयास करूँगा। लगभग 30 माननीय सदस्यों ने बड़ी-बड़ी माँगें पेश की हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे बजट व्यवस्था के अतिरिक्त 800 करोड़ रुपया और चाहिए। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, यदि रेलवे के एक खण्ड में भी ऊपरी तथा भूमिगत पुलों तथा नई लाइनों का निर्माण-कार्य हाथ में ले लिया जाये तो समूचे भारत की बेरोजगारी समाप्त हो सकती है क्योंकि इस कार्य के लिए हमें अनेक इंजीनियरों, श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। वस्तुतः हमें प्रत्येक परियोजना के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम अपनी समाजवादी प्रणाली का आश्रय लेते हैं जिसके अनुसार जन-शक्ति तथा संसाधनों के बीच यथेष्ठ तालमेल बैठाने का प्रयास किया जाता है ताकि जनता की माँगों को पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए हमें आवश्यकतानुसार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन भी लाना होगा। विपक्ष में बैठे मेरे विद्वान सहयोगी आलोचना की बजाय यदि अपने मस्तिष्क का लाभ हमें दें तो हम वास्तव में इस देश की निर्धनता तथा अन्य समस्याओं पर काबू पा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैसूर राज्य से संबंधित तीन रेल मंत्रियों के होते हुए भी मैसूर राज्य की माँगों को पूरा नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि हमें कोई एक क्षेत्र संबंधी रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि समूचे देश के हित को सामने रखकर कार्य करना चाहिए। तथापि मैसूर से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर समूचे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा। यदि संसाधनों को देखते हुए मैसूर के लिए कुछ किया जा सका तो अवश्य ही किया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर देने की माँग की है। यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बात को हम अपनी योजना बनाते समय ध्यान में रखेंगे। हमें आशा है कि सभा अपनी इस अवधि के दौरान ससूचे देश में केवल एक लाइन—बड़ी लाइन की व्यवस्था कर सकेगी।

केरल में और अधिक रेलों की माँग को मैं तुरन्त ही स्वीकार करता हूँ।

कन्याकुमारी तथा हिमालय भारत की एकता, अखण्डता तथा राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। मैं तो कहूँगा कि यदि मैं रेल मंत्री बना रहा तो कन्याकुमारी से हिमालय तक बड़ी लाइन बिछाने की व्यवस्था करूँगा।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्द गांव) : यदि रेल मंत्री केरल तथा मैसूर को अधिक रेल सुविधाओं का वचन देते हैं तो इससे मुझे ईर्ष्या नहीं होती। परन्तु मध्य प्रदेश में भी रेलवे सुविधाओं की बुरी तरह उपेक्षा की गई है। इस बहुत बड़े राज्य में बहुत थोड़ी रेलवे लाइनें हैं। बेलाडिला से राजहारा तक रेलवे लाइन की स्वीकृति काफी समय पूर्व दी गई थी तथा राजहारा में लोहे के बड़े भण्डार हैं जिनकी भिलाई को भारी आवश्यकता है। इस लाइन के निर्मित होने से लोहे के परिवहन में सुविधा मिलेगी। राजनन्द गांव तथा राजनन्द गाँव जंकशन के मध्य भी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। खैराघाट से जबलपुर के मध्य भी एक सर्वेक्षण किया जाना है। यह वाणिज्यिक तथा वन्य क्षेत्र है तथा इस नई लाइन के बिछने से रेलवे को लाभ होने के साथ-साथ इस क्षेत्र का भी विकास होगा। मंत्री महोदय इसका पूर्ण-रूपेण सर्वेक्षण करके इस स्थिति के बारे में उत्तर दें।

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं इसकी जाँच करके माननीय सदस्य को सभा में अथवा निजी तौर पर सूचित करूँगा। तामिल नाडु की माँगों पर भी विचार किया जायेगा।

SHRIMATI SAHODRA BAI RAI (Sagar) : The hon. Minister has not mentioned about the dacoit-infested areas of Sagar and Raigarh Chattarpur.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने रेल कर्मचारियों के परियोजना भत्ते संबंधी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। डाक व तार तथा अन्य सरकारी विभाग तो यह भत्ता देते हैं परन्तु रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता। इस संबंध में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे ?

श्री के० हनुमन्तय्या : इस प्रश्न पर वित्तीय पहलुओं की जाँच करने के बाद ही मैं निर्णय कर सकूँगा। जिन बातों का मैंने जिक्र नहीं किया है मैं उन पर भी विचार करूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : निम्न आय वाले वर्ग के 40,000 लोगों को कलकत्ता लाने-ले जाने वाले लाइट रेलवे मार्ग के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के लिए मंत्री महोदय ने क्या प्रबंध किये हैं ? सड़क परिवहन इस स्थिति के लिए न तो समर्थ ही है और उस पर खर्च भी बहुत होता है। मेरा सुझाव है कि पश्चिम बंगाल के दोनों लाइट रेलवे मार्गों तथा दिल्ली-

सहारनपुर रेल मार्ग को रेलवे विभाग अपने अधिकार में ले ले। इससे बचत भी होगी तथा कम आय वाले कर्मचारियों को यात्रा में सुविधा भी होगी।

SHRI MULKI RAJ SAINI (Dehradun) : One of the causes of the loss to the Delhi-Saharanpur railway is that they get coal at the rate of Rs. 36 a ton as against Rs. 28 a ton to the Railways. Moreover, their head-office on which they had to spent about 45 percent, has been closed. But this light railway is a must. The hon. Minister has not touched this point.

श्री के० हनुमन्तय्या : रेलवे प्रशासन के बारे में स्थिति मैं अपने भाषण में स्पष्ट कर चुका हूँ। यदि कोई और बात रह गई है तो मैं माननीय सदस्यों के साथ तत्संबंधी विचार करने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित लेखानुदानों की माँगें मतदान के लिए रखी गइ तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Grants on Account in respect of Ministry of Railways were put and adopted :

माँग सं०	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,68,11,000
2	विविध व्यय	7,38,74,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	14,26,000
4	संचालन-व्यय—प्रशासन	85,96,38,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	2,82,57,87,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी	1,81,88,52,000
7	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन)	1,69,98,78,000
8	संचालन-व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	53,10,62,000
9	संचालन-व्यय—विविध व्यय	36,98,41,000
10	संचालन-व्यय—कर्मचारी कल्याण	27,86,91,000
11	संचालन-व्यय—मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	1,05,00,00,000
11क	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	15,00,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश	1,73,77,35,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	9,00,13,000
14	नयी लाइनों का निर्माण	33,47,95,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूँजी, मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	5,92,25,54,000
16	पेंशन-प्रभार—पेंशन निधि	8,88,11,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक माँगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Supplementary Demands for Grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted:

माँग सं०	शीर्षक	राशि
		रुपये
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	1,12,24,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	75,76,000
17	सामान्य राजस्व से लिए गये और उसके ब्याज की अदायगी—विकास निधि	30,53,000

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1971

APPROPRIATION (RAILWAYS) VOTE-ON ACCOUNT BILL, 1971

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूँ 'कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Three minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

सभापति महोदय : श्री शिब्बन लाल सक्सेना !

श्री एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : हिन्दुस्तान स्टील आदि सरकारी कारखानों में भारी घाटे को देखकर हमें बड़ा दुःख होता है। परन्तु हमें कहा जाता है कि वहाँ की समस्याएं बड़ी जटिल हैं। लेकिन रेलवे में तो ऐसी समस्याएं नहीं हैं। वहाँ क्यों इतनी हानि हो रही है ? हमारा रेलवे विभाग 100 वर्ष से अधिक पुराना है। अगर यहाँ भी इस प्रकार हानि होती है तो लोग इस पर विद्रोह कर बैठेंगे।

मैंने कई कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। कटौती प्रस्ताव संख्या 54 गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर वस्तु-विक्रेताओं की सहकारी-संस्था को सामान्य रूप से तीन वर्ष का और समय देने में अकारण विफलता के बारे में है। दो रेलवे मंत्री इस संस्था की जाँच कर चुके हैं तथा कोई शिकायत नहीं पाई गई है। यह संस्था 20 वर्ष पुरानी है परन्तु फिर भी इस के कार्यकाल को बढ़ाकर तीन वर्ष नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से इस की जाँच करेंगे। मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या 56 इज्ज़त नगर वर्कशाप के 3,000 कर्मचरियों को हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं देने के बारे में है। उन कर्मचारियों को बहाल करने के बाद भी आज तक उन्हें यह वेतन नहीं दिया गया है।

मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 64 में गोरखपुर से महाराजगंज तक नई रेलवे लाइन बिछाने की माँग है। इसी प्रकार कटौती प्रस्ताव संख्या 65, 66 तथा 67 भी नई रेलवे लाइनों तथा बड़ी लाइनों के निर्माण से संबंधित हैं। गोरखपुर-बस्ती-देवरिया क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र हैं। वहाँ चीन के उपद्रवी तत्व विद्यमान हैं। नेपाल सीमा के पार है। चीनी सेनायें सड़कों द्वारा काठमण्डू पहुँच सकती हैं परन्तु हम वहाँ अपनी सेनायें नहीं भेज सकते क्योंकि हमारी ओर वहाँ रेलवे लाइनें नहीं हैं।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन सभी बातों पर विचार करेंगे जिनका मैंने अपने कटौती प्रस्तावों में वर्णन किया है। यदि उपरोक्त लाइन बिछाई गई तो इससे हमारे देश को लाभ पहुँचेगा।

SHRI SHANKAR PRASAD YADAV (Khagaria) : A bridge should be constructed over the Ganges near Monghyr in Bihar. Besides, a double railway line should also be laid from Mansi to Saharsa. There is danger to national highway as well as Mansi Railway Station owing to erosion of the Ganges. It may be suggested that the flow of the Ganges should be diverted to save Mansi, national highway and the railway line.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : प्रस्तुत विधेयक में मरम्मत और देखभाल के लिए 95 करोड़

रुपये की व्यवस्था की गई है। देखभाल संबंधी कार्य में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। एक लोक निर्माण निरीक्षक को बहुत बड़ा क्षेत्र दिया गया है जिसकी अच्छी प्रकार देखभाल करना उसके लिए कठिन हो जाता है। केन्द्रीय सरकार मरम्मत तथा देखभाल पर बहुत धन खर्च करती है परन्तु फिर भी यह कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि वर्षा ऋतु में पुलों के गिरने आदि के समाचार आते रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बजट जितना भी पास हो परन्तु विरोधी पक्ष तथा सत्ताधारी दल के सभी सदस्य गरीबी, अनभिज्ञता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए मिल कर विचार-विमर्श करें, जिससे हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जा सके।

SHRI N. P. YADAV (Sitamarhi): The plight of North Eastern Railway is deplorable. It may be pointed out that it takes 15 hours to cover 80 miles from Patna to Sitamarhi whereas one can reach Delhi from Patna within that much time. The people of North Bihar have always been demanding an over bridge at Sitamarhi Railway Station. I would also request the Railway Minister that one train running *via* Darbhanga or Samastipur from Mohendraghat to Narkatiaganj should be converted into an Express train. A broad gauge line should also be laid from Samastipur to Narkatiaganj *via* Sitamarhi. Besides, a new railway line should also be laid from Muzaffarpur to Sunvarsa. The survey for this line had been completed much earlier. The arrangements of railway catering is not satisfactory in North Bihar. I request the hon. Minister to look into this matter.

श्री के० हनुमन्तय्या : माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद के दौरान नई रेलवे लाइनें बिछाने पर अधिक बल दिया है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इन सभी मामलों पर विचार करेंगे और जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होंगे, हम स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये के सरकारी उपक्रम को अमरीकी डीज़ल इंजन निर्माताओं के सामने झुक कर बर्बाद कर दिया है। इससे सरकार को कभी लाभ नहीं होगा।

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो किसी प्रकार के दबाव और विशेषकर विदेशी विभाग के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3 और 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3 and 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1971

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1971

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 तथा 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3 तथा 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3 and 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० हनुमन्तय्या : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मणिपुर बजट 1971-72 —सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की माँगें (मणिपुर), 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की माँगें (मणिपुर), 1970-71

MANIPUR BUDGET, 1971-72—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (MANIPUR), 1971-72 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (MANIPUR), 1970-71

सभापति महोदय : अब हम कार्य-सूची की मद संख्या 11, 12 तथा 13 अर्थात् मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के 1971-72 वर्ष के लिए बजट पर सामान्य चर्चा तथा लेखानुदानों की माँगों एवं अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा और मतदान करेंगे ।

श्री दशरथ देव : (त्रिपुरा पूर्व) : यह बहुत दुःख की बात है कि 1970-71 वर्ष के लिए मणिपुर बजट तथा अनुपूरक माँगों पर इस सदन को चर्चा करनी पड़ रही है । इसका कारण यह है कि यह सरकार मणिपुर विधान सभा के पुनर्गठन में असफल रही है । मणिपुर विधान सभा के लिए चुनाव भी संसदीय चुनावों के साथ ही करवाये जा सकते थे और उस स्थिति में यह बजट पास करने का उत्तरदायित्व इस सदन पर न आता । सरकार को अभी भी वहाँ पर चुनाव करवाने चाहिएं । लोगों को इतने लम्बे समय के लिए नौकरशाही शासन के अन्तर्गत रखना उचित नहीं ।

मणिपुर त्रिपुरा को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की सैद्धान्तिक मंजूरी की घोषणा प्रधान मंत्री ने लगभग एक वर्ष पूर्व इसी सदन में की थी, परन्तु तब से सरकार इस बारे में चुप है । सरकार को इस संबंध में शीघ्र ही ब्यौरों की जाँच करनी चाहिए ।

लगभग एक वर्ष से मणिपुर में नौकरशाही शासन है जिसके अन्तर्गत लोगों को विशेष रूप से युवा वर्ग एवं विद्यार्थियों को दबाया जा रहा है । दोषारोपण किये बिना उन्हें जेल भेज दिया जाता है । राष्ट्रपति शासन के दौरान इस संघ राज्य-क्षेत्र में उड़ीसा निवारक निरोधक अध्यादेश, 1969 लागू कर दिया गया है । इस अध्यादेश को मणिपुर एवं त्रिपुरा से वापस लिया जाना चाहिए ।

दूसरे, पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, 1950 को, जो स्वयं लागू नहीं है, मणिपुर तथा त्रिपुरा में लागू कर दिया गया है । इसकी कोई आवश्यकता न होते हुए भी जनतंत्री आन्दोलन को कुचलने के लिए इसे लागू किया गया है ।

जिन स्थानों पर सत्ताधारी दल को बहुमत की आशा थी वहाँ चुनाव करवा दिये गये हैं परन्तु अन्य स्थानों, मणिपुर तथा त्रिपुरा में चुनाव नहीं करवाये जाते । मैसूर तथा उड़ीसा के संबंध में बातें की जाती हैं, परन्तु मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं करवाये जाते ? इसी प्रकार यदि त्रिपुरा विधान सभा के लिए भी चुनाव संसदीय चुनावों के साथ करवाये जाते तो वहाँ पर वर्तमान सरकार से भिन्न सरकार होती

हम उन क्षेत्रों की माँगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस सदन के अधिकारों तथा परमाधिकारों के विरुद्ध कुछ नहीं कहता। परन्तु एक बात अवश्य है कि वहाँ की सरकार के कार्यकरण के प्रत्येक पहलू की जाँच करना असंभव है। मणिपुर विधान सभा द्वारा यह सारा कार्य समुचित ढंग से हो सकता था।

बजट में त्रिपुरा के लिए शिक्षा, विशेष रूप से जनजातीय शिक्षा के संबंध में निधियों के आबंटन को हम देखें। इस राशि के खर्च किये जाने के संबंध में क्योंकि वहाँ की सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ अत: वित्त मंत्री इस पर कुछ कहने व करने में असमर्थ हैं। केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों को राज्य का दर्जा न देकर यहाँ से उन्हें नियंत्रित करना चाहती है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं, वहाँ के लोगों के साथ यह अन्याय है।

मैं वहाँ के लोगों की माँगें दोहराता हूँ। सभी कैदियों को, विशेष रूप से युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को बिना शर्त रिहा किया जाये। मणिपुर के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये। जनजातीय लोगों को विशेष रूप से अक्षम लोगों को विशेष संरक्षण दिया जाये। मणिपुर में तत्काल रूप से विधान सभा के लिए चुनाव करवाये जायें। उड़ीसा निवारक निरोध अध्यादेश, पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम आदि जैसे दमनकारी कानूनों को वापिस लिया जाये जिससे कि वहाँ लोकतंत्र के विकास के लिए समुचित वातावरण पनप सके।

सभापति महोदय : दो कटौती प्रस्ताव हैं। क्या आप उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दशरथ देव : जी हाँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ :

मणिपुर की अनुपूरक अनुदानों की माँगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
9.	1	श्री दशरथ देव :	हाल में हुए संसदीय चुनावों के साथ मणिपुर विधान सभा के लिए चुनाव कराने में केन्द्र की असफलता।	100 रुपये
	2	श्री दशरथ देव :	मणिपुर की लोकतंत्रीय जनता के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाहियाँ।	100 रुपये

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : हमारा देश बहुत बड़ा देश है तथा संस्कृति और भाषा की दृष्टि से यहाँ पर बहुत विविधता है। यहाँ के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो क्षेत्र, जन-

संख्या और आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से पिछड़े और छोटे हैं। मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय इस प्रकार के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में राजनैतिक भविष्य के बारे में संघर्ष होता रहा है।

भारत सरकार द्वारा अब इन छोटे क्षेत्रों को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लेने से स्थिति बदल गई है। इन छोटे क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिये जाने के पश्चात् इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय तथा अन्य आर्थिक उपाय किये जाने होंगे क्योंकि तभी यह एकक उपयोगी बन सकेंगे।

मणिपुर की मुख्य घाटी उपजाऊ क्षेत्र है पर वर्षा के दौरान वहाँ बहुत बाढ़ें आती हैं और बाद में सूखा पड़ता है। अतः इस क्षेत्र का कृषि के लिए उपयोग नहीं हो पाता। अतः यहाँ के लिए सिंचाई के विशेष उपाय किये जाने चाहिएं।

मणिपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1969 में सिद्धांत रूप से स्वीकार भी कर लिया था परन्तु बजट में उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा इसके विकास के लिए अधिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र की सभ्यता का विकास इस भाषा के विकास के साथ सम्बद्ध है।

जहाँ तक असेम्बली के चुनावों का संबंध है, यह ठीक नहीं है कि इसमें भारत सरकार की ओर से देरी की गई। मणिपुर के सभी राजनैतिक दल 1969 वर्ष से मणिपुर के लिए संपूर्ण राज्य के दर्जे की माँग कर रहे हैं और संसदीय चुनावों के समय सभी राजनैतिक दलों की समन्वय समिति में उपरोक्त माँग के संदर्भ में असेम्बली के चुनावों पर विचार किया गया क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र के रूप में मणिपुर असेम्बली के कार्यकरण का हम अनुभव प्राप्त कर चुके थे। अतः केवल एक स्थानीय दल के अतिरिक्त सभी दलों का यह मत था कि जब तक मणिपुर को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा न दिया जाये तब तक चुनाव न कराये जायें।

SHRI JHARKHANDE RAI (Ghosi) : I think that the former Minister of Home Affairs, Shri Chavan, is responsible for the present situation of Manipur. The then Central Government did not want an anti-Congress Government to be established in that part of the country. When elections could he held for Assemblies of Orissa, Bengal and Tamil Nadu, along-with Parliamentary elections, there is no reason why these could not be held for Manipur Assembly. There have been demands for holding elections but they were repressed. But it should be remembered that it is not possible to repress such movements for all times.

Manipur is mainly a hilly area. Special attention should be paid towards animal husbandry and afforentation. Amounts earmarked in Budget for these purposes are negligible. Special emphasis should be laid on the development of Cottage Industries.

States Reorganisation Commission had reorganised the country on linguistic basis, but certain anomalies crept in at that time. Some of these have already been rectified with the creation of new States such as Maharashtra, Gujarat, Punjab and Haryana. But certain anomalies still exist and due to these there is resentment in Hindi-speaking area. This area

should be reorganised on a scientific and geographical and linguistic basis. A high powered reorganisation commission should be set up for this purpose.

In the end, I repeat that Manipur should be accorded State-hood, elections should be held there as early as possible and centre should provide assistance for its all round development.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस वाद-विवाद में जिन सदस्यों ने भाग लिया मैं उनका आभारी हूँ । श्री देब तथा अन्य सदस्यों ने मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रश्न उठाया । पिछली लोक सभा में, जो भंग की गई थी, यह घोषणा की गयी थी कि सरकार ने मणिपुर तथा त्रिपुरा के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी माँग को स्वीकार कर लिया है । श्री तोम्बी सिंह तथा श्री देब इन राज्यों की विकट समस्याओं को समझते ही होंगे । वहाँ की समस्याएं राजनैतिक ही नहीं बल्कि सुरक्षा संबंधी भी हैं । पिछले कुछ वर्षों से इन क्षेत्रों की राजनैतिक स्थिति स्थिर नहीं रही । श्री तोम्बी सिंह इस बात को समझते हैं कि मणिपुर के लोगों की यह माँग रही है कि मौजूदा ढाँचे के अधीन चुनाव न कराये जायें । वहाँ के लोग चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही चुनाव कराये जावें । इसी कारण लोक सभा के चुनावों के साथ मणिपुर विधान सभा के चुनाव नहीं कराये गये ।

इन दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए हम वचनबद्ध हैं ।

माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि छिपे नागाओं के कारण मणिपुर में भी काफी अशाँति रही है । मणिपुर की सीमा के साथ नागाओं की भी कुछ जातियाँ रहती हैं जिसके कारण वहाँ भी कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं ।

इस प्रकार सरकार को सुरक्षा संबंधी कुछ कदम उठाने भी पड़ें तो इसे दमनकारी कदम नहीं कहा जा सकता।

चालू वर्ष 1971-72 के दौरान 2 लाख रुपये की लागत वाली लोहतक सिंचाई योजना का काम भी शुरू कर दिया गया है। उसके अतरिक्त इस बजट में, जिसे हमने सदन के सामने रखा है, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए भी 7 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

श्री झारखंडे राय ने बुन्देलखण्ड, महाविदर्भ आदि राज्यों की स्थापना की चर्चा भी की । मैं यहाँ तेलंगाना की बात नहीं कर रहा । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने क्षेत्रीय भावनाओं से वशीभूत होकर महाविदर्भ आदि राज्यों की स्थापना का समर्थन किया वे लोग अभी हाल के मध्यावधि चुनावों में अपनी जमानतें भी नहीं बचा सके । इस प्रकार नये पुनर्गठन आयोग की स्थापना का सुझाव कोई बल नहीं रखता ।

हम उन क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं जहाँ यह व्यावहारिक तथा आवश्यक हो, जैसे कि हमने हिमाचल प्रदेश के मामले में भी किया । इस प्रकार जब भी आवश्यकता अनुभव हो हम ऐसी माँगों पर विचार करते हैं और भारत की संसद भी इस पर विचार करती है । अतः इन माँगों पर विचार करने के लिए आयोग की स्थापना आवश्यक नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि सदन इन माँगों को स्वीकार करेगा ।

सभापति महोदय द्वारा मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की निम्नलिखित लेखानुदानों की माँगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
	एक. राजस्व खाते से व्यय	रुपये
1.	भू-राजस्व	7,10,000
2.	राज्य उत्पादन शुल्क	86,000
3.	मोटर गाड़ियों पर कर	38,000
4.	बिक्री कर	36,000
5.	अन्य कर और शुल्क	1,000
6.	स्टाम्प	9,000
7.	रजिस्ट्रेशन	28,000
8.	संसद, राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	3,82,000
9.	सामान्य प्रशासन	32,32,000
10.	न्याय प्रशासन	1,58,000
11.	जेलें	1,86,000
12.	पुलिस	1,12,20,000
13.	नागरिक पूर्ति	83,000
14.	शिक्षा	1,54,16,000
15.	चिकित्सा	27,57,000
16.	लोक स्वास्थ्य	16,54,000
17.	कृषि और मीन क्षेत्र	14,82,000
18.	पशु पालन	8,28,000
19.	सहकारिता	4,02,000
20.	उद्योग	8,47,000
21.	सामुदायिक विकास	8,81,000
22.	श्रम	1,55,000
23.	अंक संकलन	2,20,000
24.	सिंचाई	2,83,000
25.	बिजली	25,18,000
26.	लोक निर्माण कार्य (मूल निर्माण कार्य और मरम्मत)	31,31,000
27.	लोक निर्माण कार्य (प्रतिष्ठान)	56,40,000
28.	सड़क परिवहन	21,81,000

माँग सं०	शीर्षक	राशि
	एक. राजस्व खाते से व्यय	रुपये
29.	दुर्भिक्ष	17,000
30.	पैंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	4,22,000
31.	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,56,000
32.	वन	5,93,000
33.	विविध	19,62,000
	दो. पूंजी आदि से व्यय	
34.	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4,17,000
35.	छोटे सिंचाई कार्यों पर पूँजी परिव्यय	2,53,000
36.	बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	6,67,000
37.	बिजली पर पूंजी परिव्यय	35,57,000
38.	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	68,33,000
39.	इमारतों पर पूंजी परिव्यय	26,19,000
40.	सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	4,00,000
41.	राज्य व्यापार पर पूंजी परिव्यय	29,02,000
42.	उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	3,33,000
43.	सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	69,000
44.	ऋण और अग्रिम	15,12,000

सभापति महोदय : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की माँगों के कटौती प्रस्ताव संख्या 1 तथा 2 को मतदान के लिए रखता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The Cut motions Nos. 1 and 2 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की माँगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

माँग सं०	शीर्षक	राशि
	राजस्व खाते से व्यय	रुपये
1.	भू-राजस्व	28,900
4.	बिक्री कर	4,400

माँग सं०	शीर्षक	राशि
	राजस्व खाते से व्यय जारी	
5.	अन्य कर और शुल्क . .	300
7.	रजिस्ट्रेशन . .	4,900
9.	सामान्य प्रशासन .	9,64,300
10.	न्याय प्रशासन . .	83,800
11.	जेलें . .	1,85,000
12.	पुलिस . . .	48,13,400
13.	नागरिक पूर्ति .	2,100
14.	शिक्षा . . .	35,54,800
15.	चिकित्सा . .	6,15,600
16.	लोक-स्वास्थ्य .	1,18,600
18.	पशुपालन .	2,77,200
20.	उद्योग . .	4,77,300
21.	सामुदायिक विकास . .	2,86,000
23.	अंक संकलन . .	1,05,600
24.	सिंचाई .	1,80,000
25.	बिजली . .	1,05,200
26.	लोक निर्माण कार्य (मूल निर्माण कार्य और मरम्मत)	22,06,400
27.	लोक निर्माण कार्य (प्रतिष्ठान) .	17,17,100
28.	सड़क परिवहन . .	1,67,100
30.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	5,68,400
31.	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	29,000
32.	वन . . .	74,700
33.	विविध . .	1,00,000
	ऋणों सहित पूंजी खाते से व्यय	
36.	बाढ़ नियंत्रण पर पूँजी परिव्यय	2,00,000
38.	सड़कों पर पूँजी परिव्यय . .	29,00,700
44.	ऋण और अग्रिम . . .	28,55,000

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971

MANIPUR APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र कि संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मणिपुर विनियोग विधेयक, 1971

MANIPUR APPROPRIATION BILL, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1970-71

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1970-71

सभापति महोदय : सदन अब वर्ष 1970-71 के लिए बजट (सामान्य) संबंधी अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान करेगा ।

माँगें सदन के सामने हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय की माँगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	1	श्री डी० एन० भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल और केरल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
	2	श्री डी० एन० भट्टाचार्य	देश के लोकतांत्रिक आन्दोलन के प्रति सरकार की दमन-कारी नीति ।	100 रुपये

श्री डी० एन० भट्टाचार्य (सीमापुर) : गरीबी से संघर्ष करने और बेरोजगारी दूर करने के बारे में बड़े ऊँचे वायदे किये गये हैं, परन्तु न तो वित्त मंत्री के बजट भाषण में और न ही अनुपूरक बजट में बन्द पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के बारे में कुछ कहा गया है ।

सारे देश में अनेक कपड़ा मिलें एक साल से भी ज्यादा समय से बन्द पड़ी हैं । पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होने के बावजूद 13 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं जिनमें कार्य कर रहे लगभग 16,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं । इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अनुपूरक बजट में कलकत्ता की ब्रैथवेट कम्पनी को ऋण के रूप में 70 लाख रुपये की राशि देने के लिए व्यवस्था की गई है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस फैक्टरी के बन्द होने के क्या कारण थे ? उनकी माँग 50,000 टन इस्पात के लिए थी, परन्तु साल भर में उन्हें केवल 8,000 टन इस्पात का ही आबंटन किया गया । जहाँ इस्पात की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों को इस्पात का आबंटन किया जाता है । यह हालत है कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई की !

बंगलक्ष्मी काटन मिल्स को फिर से चालू करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने 28 लाख रुपये की गारंटी दी थी, परन्तु यह कारखाना अभी भी चालू नहीं हो सका है । सरकार का कहना यह है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही 11,000 मजदूर कारखाने बन्द होने से बेकार हो गये हैं ।

कारखाने श्रमिक विवादों के कारण बन्द नहीं हुए हैं । उनके बन्द होने का कारण वित्तीय कठिनाइयाँ हैं जो पिछले 24 साल के काँग्रेस शासन के कारण उत्पन्न हो गई हैं ।

बाढ़ की समस्या भी सरकार द्वारा पैदा की गई है । दामोदर घाटी परियोजना का

निर्माण करने के कारण हर तीन या चार वर्ष के पश्चात् हुगली, हावड़ा और बर्दवान में बाढ़ से हजारों किसानों को फसल और सम्पत्ति का नुकसान उठाना पड़ता है। निम्न दामोदर क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने से लिए कुछ कार्यवाही की जा रही है, परन्तु कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन पता नहीं कब प्रारम्भ होगा।

पश्चिम बंगाल, केरल और देश के अन्य भागों में पिछले एक साल से पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप जायें तो पता चलेगा कि वहाँ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है ? मेरे पास एक टेलीग्राम आया है जिसके अनुसार उत्तरपाड़ा में हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के एक कर्मचारी की तथाकथित नक्सलपंथी—समाज विरोधी तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई है। चुनाव के दौरान एक महीने के अन्दर यह तीसरी हत्या है। एक साल के अन्दर हमारी पार्टी के 230 नवयुवक कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। काँग्रेस के पिट्ठुओं और गुण्डों ने यह सब किया है·····(**व्यवधान**)। वहाँ भी जनता ने अपना निर्णय दे दिया है और तीनों काँग्रेस—सत्तारूढ़ काँग्रेस, संगठन काँग्रेस और बंगला काँग्रेस मिलकर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पश्चिम बंगाल में मुकाबला नहीं कर सकीं। मगर फिर भी अजय मुखर्जी को मुख्यमंत्री बनाये जाने का षड़यन्त्र चल रहा है जिनकी पार्टी के सिर्फ पाँच सदस्य विधान सभा में हैं। जनता इसका उचित उत्तर देगी।

पश्चिम बंगाल और केरल में ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता ही बेरोजगारी और गरीबी से पीड़ित है। अगर जनता इन चीजों के विरुद्ध आन्दोलन करती है तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस उन्हें कुचल देती है। इस प्रकार की स्थिति को सदैव ही सहन नहीं किया जा सकता। जनता निश्चित रूप से इसके विरुद्ध उठ खड़ी होगी और तब भारत में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा।

SHRI M. R. GOPAL REDDY (Nizamabad) : Whereas my friend from Telengana has started his speech with 'Jai Telengana', I would start my speech with Jai Hind.

In spite of the fact that per capita income in West Bengal is higher than the per capita Income in Andhra Pradesh, still there is disorder and chaos there. Wherever Marxist Communists are active, there always remains the problem of law and order, because they do not believe in peaceful and democratic system. So long as Congress rule was there in West Bengal, development of industries went on smoothly; but as the Marxist Communists came into power, all the industries were destroyed. This is the reason that the big industrialists have started shifting their industries from West Bengal to other parts of the country. But Marxist are blaming the Congress Party for all this and thus misleading the masses.

The Congress Government have to abolish poverty from the country and they have also to make the people aware of this false propaganda of the Marxists against the Congress. If the country has to be developed swiftly, the Marxists would have to be dealt with a heavy hand.

The regional imbalances is the main reason of the present disorder in the country. The Andhra Pradesh is the poorest State after Bihar. There should be coordinated and equated development of all the States in the country. For this purpose the Planning Commission should allot more funds for the development of the backward areas-

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने भाषण को माँग सं० 46, 48 और 111 तक ही सीमित रखूँगा। अधिकांश माँगें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की अदायगी से संबंधित हैं। जब 84 रुपये का निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 15 रुपये और 1250 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों 45 रुपये अन्तरिम सहायता के रूप में दिये गये तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त था और विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे वेतन आयोग को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत करायें, ताकि वह अन्तिम रिपोर्ट में इस बात का ध्यान रखे। अन्तरिम सहायता के रूप में 70 रुपये की माँग केवल अनुमानों पर आधारित नहीं है, बल्कि निश्चित आँकड़ों पर आधारित है। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में न्यूनतम वेतन 195 रुपये और 210 रुपये है। जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 147 रुपये है, जो 15 रुपये की अन्तरिम सहायता मिलाने के बाद 162 रुपये हो पाता है। मंत्री महोदय से मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह वेतन आयोग से शीघ्र रिपोर्ट पेश करने के लिए कहें। वेतन आयोग को कर्मचारियों और सरकार दोनों से ही अपेक्षित आँकड़े उपलब्ध हो चुके हैं, अतः अब और ज्यादा विलम्ब करने का कोई कारण नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की ससस्या से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है, परन्तु यह राशि अपर्याप्त है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चारिए। विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज 87,000 इंजीनियरों के अलावा 2,64,000 अन्य नवयुवक भी बेरोजगार हैं जिन्होंने 9 माह अथवा डेढ़ साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है। इनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

माँग नं० 48 में प्रिवी पर्स की बात कही गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी प्रिवी पर्स समाप्त करने की बात स्पष्ट नहीं हुई। इस चुनाव से यह सिद्ध हो गया है कि उच्चतम न्यायालय से भी बड़ा न्यायालय लोक सभा है। अब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि वह आम जनता की भावनाओं का प्रतिबिम्ब बन सके। माँग सं० 48 में 24,000 रुपये की राशि की व्यवस्था भूतपूर्व शासकों के परिवारों के लिए की गई है। मैं मंत्री महोदय से प्रिवी पर्स की समप्ति के बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ। अगर प्रिवी पर्स की समाप्ति में राज्य सभा बाधक होती है, तो राज्य सभा को ही समाप्त कर देना चाहिए।

माँग सं० 46 पुलिस के बारे में है। मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों को क्षमा प्रदान कर दी जिन्होंने आन्दोलन किया था। कुछ पुलिस कर्मचारियों को अब भी नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है। कुछ कर्मचारियों की नौकरी में व्यवधान पड़ा है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि खोसला आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय और पुलिस कर्मचारियों को बिना बदले की भावना के क्षमा प्रदान की जाय।

माँग सं० 111 पेंशन के बारे में है। मुझे ऑल इण्डिया पेंशनर्स आर्गेनाइजेशन से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कीमतों में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि कीमतों में वृद्धि हो रही है। मूल्य-नियन्त्रण की व्यवस्था को और अधिक शुद्ध किया जाना चाहिए।

पेंशन-भोगी भी अपनी पेंशन में वृद्धि चाहते हैं। चौथी लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री सेठी ने कहा था कि सरकार इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह मामला भी वेतन आयोग को सौंप दे।

SHRI R. N. SHARMA (Dhanbad) : I support the supplementary Demands for Grants. But with this I want to give some suggestions. The most important problems of the country are poverty and unemployment. We should take some concrete steps to overcome them.

In this connection, I want to say one thing that the import of big machinery cannot solve the problem of employment rather it comes in the way of full employment. The problem of poverty should also be solved. Prices are increating and most of the people are not in a position to make their both ends meet. I think all these things will be kept in view while presenting the next budget.

My C. P. I. (M) friend says that there is rule of terror in west Bengal and Central Government is not taking any interest in improving the situation there. But they should know that the present situation is their own creation. This is the creation of United Front Government, in which their party was in majority. Had this situation not been there they would not have won so many seats from that State. Because in that case voters might have come for voting without any fear.

Now I come to certain local problems. Dhanbad comes next to Calcutta and Bombay in respect of the payment of revenues to the Communications Department, but direct dialling system has not been provided there. It should be done immediately. I think the hon. Minister will keep this in mind as the matter is lying in his Department for consideration.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : बहुत पहले संविधान को स्वीकार करने के समय हमने आर्थिक न्याय देने का वायदा किया था। वर्तमान बजट इस बात को दर्शाता है। काँग्रेस में विघटन भी इसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के कारण हुआ और लोगों ने चुनावों में जनतांत्रिक समाजवाद में अपनी आस्था को प्रदर्शित किया, पर उस प्रकार के समाजवाद में नहीं जिस प्रकार के समाजवाद का प्रदर्शन मेरे मित्र पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि औद्योगिक शान्ति और प्रगति तालाबन्दी, हत्याओं और आतंक से नहीं हो सकती।

नई काँग्रेस को इतना अधिक बहुमत मिलने से यह स्पष्ट है कि जनता ने प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को सर्वथा ठुकरा दिया है। इससे जनता की समझ का भी पता चलता है।

अब हमारे सम्मुख जो कार्य है, वह है गरीब लोगों को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना।

इस संबंध में मैं एक बात कह दूं कि उनको यह सुविधा धन के रूप में न देकर उत्पादन के लिए उपयोगी वस्तुओं जैसे ट्रेक्टर, मशीनरी और रिक्शा, आदि के रूप में दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर इस बात का पूरा डर है कि वे उस धन का उपयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए करेंगे। हमें राजनीतिज्ञों के रूप में विद्यमान बिचौलियों को समाप्त करना है क्योंकि ये तथा-कथित राजनीतिज्ञ अपने गुर्गों को ही सारा लाभ पहुँचाते हैं, अन्य लोगों को नहीं। सभी प्रकार की आर्थिक सुविधा लोगों को बिना किसी प्रकार के बिचौलियों के सीधे दी जानी चाहिएं। यह काम ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जा सकता है। इस कार्य में हमें दलगत और व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठ कर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। सरकारी तथा निजी सभी प्रकार के उद्योगों के विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता है। हमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी अकुशलता और अव्यवस्था से बचाना है। इस कार्य में देरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ऐसी कहावत है कि "न्याय में देरी का अर्थ है न्याय न देना।" हमें यह परिवर्तन इन पाँच सालों में लाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो जनता इस प्रकार के जनतंत्र में अपनी आस्था खो देगी।

यदि लोगों की आर्थिक अवस्था को न सुधारा गया तो बंगाल की तरह अन्य क्षेत्रों में भी आतंक की स्थिति पैदा हो सकती है। यह मात्र कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है वरन् एक आर्थिक प्रश्न है।

भारतीय जनतंत्र संसदीय प्रणाली का है और यहाँ संसद सर्वोच्च है।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

यह राष्ट्रपति और सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को मानना अनिवार्य है। पर चुनाव घोषणा-पत्र में काँग्रेस ने कहा है कि हम संविधान में आवश्यक परिवर्तन करेंगे अतः अब हमें वे परिवर्तन करने चाहिएं जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा उत्पन्न संदेहों का निराकरण किया जा सके। अतः ऐसे अधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए जो समाजवादी राष्ट्र के निर्माण में बाधक होते हैं। इन्हें नये कानून बना कर ही संविधानिक ढंग से समाप्त किया जा सकता है। तानाशाही के तरीके से नहीं और ना ही हम उसमें विश्वास करते हैं। हम तो बीच के मार्ग में विश्वास रखते हैं। ये परिवर्तन शान्तिपूर्ण और जनतांत्रिक ढंग से लाने हैं।

* **श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि): अनुदानों की माँगें पेश करते हुए हमने यह तो कहा कि गरीबी और बेकारी को हटाया जाय पर यह नहीं बताया गया कि उसे किस प्रकार हटाया जायेगा।

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर।

* Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

अबाडी कांग्रेस के समय से शासक दल समाजवाद लाने और गरीबी हटाने की बात करता आया है पर अभी तक उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उस बात को उसने हाल के चुनावों में दुहराया है और इसी आशा से जनता ने उसे इतने अधिक बहुमत से लोक सभा में भेजा है।

अब जनता को केवल मौखिक सहानुभूति से नहीं फुसलाया जा सकता। उसके लिए हमें कुछ हाथों में धन का संचय होने से रोकना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, गरीबी और बेकारी हटाई नहीं जा सकती।

यदि हमारे इस कार्य में संविधान हमारे आड़े आता है तो हमें उसमें तुरन्त संशोधन करना चाहिए। जनता अधिक देर तक इसके लिए इन्तजार नहीं करेगी और हम अब संविधान में आवश्यक परिवर्तन अधिक दिनों तक नहीं टाल सकते। इसे अगले बजट अधिवेशन से पहले संशोधित कर दिया जाना चाहिए जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय पहले दो अवसरों के समान नए समाजवादी कदमों के आगे रुकावट न डाल सके।

हम अत्यधिक मात्रा में आयात कर रहे हैं और उसके संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं बनाई है और न ही निर्यात की बढ़ाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव रखे हैं। इस दिशा में बिना ठोस कदम उठाए हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते और न ही अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधार सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि निर्यात एक देश के आर्थिक विकास में बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। जब तक उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, वे अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्यात सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यद्यपि इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है पर वहाँ रेल मार्ग की अच्छी व्यवस्था नहीं है। रेलवे बजट के दौरान मैं यह कहने का अवसर नहीं पा सका। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रचार नहीं किया जाता है। नीलगिरि क्षेत्र में हवाई अड्डा भी बनाया जाना चाहिएं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : Demands for grants put forward in the House are going to be passed because of the over whelming majority of the ruling party. The amount of 50 crores provided to tackle the problem of unemployment is just negligible. This amount should be considerably increased.

The employees had demanded Rs. 75 but this Government has given only Rs. 25. Mere slogans cannot fill their bellies. The majority cannot remain for long on the basis of these false slogans. The Government should grant an interim relief of at least Rs. 75. At the same time, the Government should also help the State Governments financially so that they could give adequate relief to their employees.

Mr. Chairman, Sir, the Chambal area was developed with foreign aid with a view to solve dacoit problem. But this problem is still very acute there. The Government should also undertake development programmes like construction of roads and setting up of industries in that area. There is sufficient barren land in that area. It should be made cultivable and distributed among the landless people. If the construction programmes are undertaken in this area, people will get employment and that will go long-way in solving the problem of dacoits also.

The police is in collusion with the dacoits. They are encouraged by the police for their nefarious activities. It is high time that the Government should pay serious attention to the dacoits menace in the Chambal valley and its adjoining areas.

Lastly, I want to draw the attention of the Government towards the problem of water logging in the vicinity of Chambal Project area. The farmers of this area are put to a lot of difficulties. The Government should pay special attention to this problem.

I hope the Government will pay proper heed to the problems raised by me.

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान जी, आपकी अनुमति से मैं केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिन का संबंध प्रक्रिया संबंधी नियमों के अन्तर्गत अनुपूरक माँगों से है। विवाद आरम्भ करते ही श्री भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल से संबद्ध कुछ निर्मूल आरोप लगाये हैं। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में उन्हें तथा उनके दल को अब अपने पापों का फल भोगना पड़ रहा है। उन्होंने 1969 से पश्चिम बंगाल में घृणा, हिंसा और दमन का जो चक्र चलाया है उससे यह सदन भली-भाँति परिचित है। पश्चिम बंगाल के इस दूषित वातावरण के लिए यदि किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह मार्क्सवादी साम्यवादी दल है, न कि केन्द्रीय सरकार या कोई अन्य दल। 1967 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में दो बार चुनाव कराये जा चुके हैं। हमने देखा कि वहाँ लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक मतदान नहीं करने दिया जाता। इसीलिए इस बार हमने हर सम्भव उपाय किये जिससे कि लोग स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कर सकें। सदस्य महोदय ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति के अधिकार में है। उनके कहने से ऐसा लगा मानो पश्चिम बंगाल में भारतीय सरकार का शासन नहीं अपितु उस पर किसी विदेशी का अधिकार है। ऐसा लगता है कि उन्हें इस शब्द का प्रयोग करना नहीं आता। बंगाल में राष्ट्रपति का शासन पूर्णतया संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है। वहाँ मार्क्सवादी साम्यवादी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सभी प्रकार के अनुचित हथकंडों का प्रयोग करने के उपरान्त भी वह केवल सब से बड़े दल के रूप में उभर कर आया है।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों के बन्द होने तथा श्रमिकों की स्थिति का उल्लेख भी किया गया। इन सब बातों के लिए भी मार्क्सवादी साम्यवादी दल ही जिम्मेदार है। आज यदि वहाँ बेरोजगारी है, उद्योगपति पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य स्थानों को जा रहे हैं; अब भी यदि विभिन्न उद्योग पश्चिम बंगाल में ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं तो मार्क्सवादी साम्यवादी दल तथा इसके प्रतिनिधि सच्चे दिल से सोचकर इस बात का उत्तर दें कि इस स्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है या वह स्वयं। अब समय आ गया है जबकि उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वह हर बार पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा देकर उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। श्री भट्टाचार्य ने जो आरोप लगाये हैं वह पूर्णतया निराधार है।

कल वित्त मंत्री महोदय ने औद्योगिक पुनर्निमाण आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली आर्थिक तथा तकनीकी बाधाओं का अध्ययन करेगा। यदि औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधायें राजनीतिक हुईं तो हम उन्हें हल करने में असमर्थ होंगे।

अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार हम क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए कटि-

बद्ध हैं। इसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम निश्चय ही दूर करेंगे। अल्प-विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं। क्षेत्रीय संतुलन तथा क्षेत्रीय विकास पर पूर्ण बल देना हमारी नीति का अंग है, क्योंकि इसी से सम्पूर्ण देश के प्रत्येक भाग का समुचित विकास सम्भव है।

श्री एस० एम० बनर्जी ने वेतन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताईं। उनको ज्ञात है कि कुछ वर्ष पहले नियुक्त द्वितीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने में दो वर्ष से कुछ अधिक समय लिया और ये सिफारिशें हमें प्रस्तुत कीं। तृतीय वेतन आयोग इस समय अपनी सिफारिशों को निर्धारित कर रहा है। वेतन आयोग केन्द्र के सेना बल, संघ-शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और अन्य उन बातों पर भी ध्यान दे रहा है जिन पर द्वितीय वेतन आयोग ने ध्यान नहीं दिया। मुझे आशा है कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देने में एक दिन का भी विलम्ब नहीं करेगा।

जैसे ही ये सिफारिशें हमें उपलब्ध होंगी, हम उन पर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं का संतोषजनक ढंग से समाधान किया जा सके।

श्री कछवाय ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में पूछा है। उनको ज्ञात होगा कि राज्य सरकारों ने अपने वित्तीय संसाधनों के अनुरूप अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दी है। यदि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सहायता करना चाहती हैं तो वे केन्द्रीय सरकार से ऋण ले सकती हैं। लेकिन केन्द्र सरकार भी ऋण देने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए हमने राज्य सरकारों को कहा है कि उन्हें अपने कर्मचारियों का स्वयं ध्यान रखना होगा। केन्द्र सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती। श्री बनर्जी ने प्रिवी पर्स का मामला भी उठाया है। सरकार ने प्रवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त करने का संकल्प किया है। लेकिन इस प्रश्न के कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है। हमें यह देखना है कि कहीं ऐसा न हो कि जो लोग निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के विरुद्ध हैं, उन्हें फिर से जनता की आकांक्षाओं को विफल करने का अवसर न मिल सके। चूंकि देश की जनता भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों को समाप्त किये जाने के पक्ष में है, इसीलिए सरकार शीघ्र से शीघ्र संवैधानिक तरीके से विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी। इसलिए माननीय सदस्य को भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त करने के संबंध में सरकार की गम्भीरता और इच्छा पर संदेह प्रगट नहीं करना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के संबंध में समझौता हो चुका है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री राम नारायण शर्मा ने मशीनीकरण तथा स्वचालित मशीनों की समस्या के बारे में कहा जो कि रोजगार के प्रश्न से संबंधित है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने पेंशनभोगियों के मामले को वेतन आयोग में भेजने की चर्चा नहीं की।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री बनर्जी ने चौथी लोक सभा में यह प्रश्न उठाया था और मैंने

यह स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि यह विषय वेतन आयोग के निदेश-पदों में शामिल नहीं है, फिर भी हमें आशा है कि द्वितीय वेतन आयोग इस प्रश्न पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और उसके बाद हम भी इस समस्या पर ध्यान देंगे।

मशीनीकरण और स्वचालित मशीनों के संबंध में हमें मशीनीकरण और स्वचालित मशीनों की आवश्यकता और कार्यकुशलता तथा उत्पादन-लागत के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। लेकिन यह संतुलन तभी कायम किया जा सकता है जब देश में आर्थिक पुनरुत्थान का कार्य शुरू किया जाए। माननीय सदस्य बी० आर० शुक्ल ने अनुदान की अनुपूरक माँगों पर बोलते हुए अन्तिम बात संविधान में संशोधन करने की कही थी। यह भी कहा गया था कि सदन सर्वोच्च है और सदन के लिए जनता की इच्छा के अनुरूप संविधान में संशोधन करना सम्भव है। जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई भी अन्य शक्ति काम नहीं कर सकती। अतः जनता की इच्छा को पूरा करने के मार्ग में जो भी बाधा आएगी, उसे सदन दूर करेगा।

अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि उन्हें इस विशिष्ट पहलू से चिन्तित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का विधेयक स्वर्गीय श्री नाथ पाई द्वारा पुरःस्थापित किया गया था, उसी प्रकार के दूसरे विधेयक के पुरःस्थापन के बारे में भी सोचा जा सकता है। परन्तु यह निर्णय लेने से पूर्व कि क्या कार्यवाही की जाए, सरकार को इस मामले की भलीभाँति जाँच करनी होगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय सदस्य अनुपूरक माँगों के बारे में अपना मत दें।

सभापति महोदय : अब मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 1 तथा 2 सदन के मतदान के लिए रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut Motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Supplementary Grants for the year ending 31st March, 1971 were put and adopted :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
	I—राजस्व से व्यय	
	(रक्षा मंत्रालय)	
1	रक्षा मंत्रालय	26,47,000
2	रक्षा सेवायें, सक्रिय सेना	13,21,00,000
4	रक्षा सेवायें, सक्रिय वायु सेना	13,23,00,000

1	2	3
		रुपये
	(शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय)	
6	शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय . .	2,91,000
7	शिक्षा . .	1,000
	(वित्त मंत्रालय)	
16	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क . .	69,28,000
17	निगम कर आदि सहित आय संबंधी कर .	90,00,000
19	लेखा परीक्षा .	1,50,00,000
21	टकसाल . .	69,15,000
22	कोलार की सोने की खानें . .	46,67,000
25	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	9,94,24,000
	(खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय)	
29	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	5,05,000
30	कृषि	1,000
32	वन . .	6,32,000
33	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता का अन्य राजस्व व्यय	1,000
	(विदेश व्यापार मंत्रालय)	
34	विदेश व्यापार मंत्रालय .	4,19,000
35	विदेश व्यापार . .	3,27,18,000
	(स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय)	
37	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय . .	4,96,000
39	लोक निर्माण कार्य . .	98,22,000
	(गृह मंत्रालय)	
43	मंत्रिमंडल . .	6,07,000
45	पुलिस . .	8,29,37,000
48	भारतीय नरेशों की निजी थैलियाँ और भत्ते .	4,000
50	दिल्ली .	5,00,00,000
51	चण्डीगढ़ . .	47,89,000
52	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . .	2,80,54,000

1	2	3
		रुपये
	(गृह मंत्रालय : जारी)	
53	आदिमजाति क्षेत्र .	84,57,000
54	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	11,65,000
55	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीप समूह .	18,11,000
	(औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय)	
57	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय	2,82,000
60	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,34,000
	(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)	
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,89,000
62	प्रसारण . .	78,25,000
	(श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय)	
68	खान सुरक्षा महानिदेशालय	2,38,000
	(पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय)	
74	पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय .	4,33,000
76	पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
	(जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय) .	
77	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	2,56,000
79	व्यापारिक समुद्री बेड़ा . .	16,89,000
81	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,000
	(पूर्ति मंत्रालय)	
84	पूर्ति मंत्रालय .	11,61,000
85	पूर्ति और निपटान .	15,36,000
	(परमाणु ऊर्जा विभाग)	
91	परमाणु ऊर्जा विभाग .	1,23,000
92	परमाणु ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	4,50,00,000
	(संचार विभाग)	
95	डाक और तार (कार्यचालन व्यय) .	3,50,35,000

1	2	3
		रुपये
	(समाज कल्याण विभाग)	
99	समाज कल्याण विभाग .	69,000
	II—पूंजी व्यय से तथा ऋणों और अग्रिमों का भुगतान	
	(रक्षा मंत्रालय)	
105	रक्षा संबंधी पूँजी परिव्यय . .	4,25,75,000
	(वित्त मंत्रालय)	
108	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूँजी परिव्यय .	23,00,00,000
111	पेंशनों का राशिकृत मूल्य . .	1,76,89,000
113	विकास के लिए राज्यकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूँजी परिव्यय . .	1,04,07,000
114	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	41,00,00,000
	(खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय)	
115	अन्न और उर्वरकों की खरीद . .	51,26,00,000
	(स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय)	
119	दिल्ली पूँजी परिव्यय	1,000
	(श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय)	
127	श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूँजी परिव्यय .	25,22,000
	(पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय)	
128	पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का पूँजी परिव्यय	1,000
	(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)	
134	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय .	5,43,00,000
	(संचार विभाग)	
136	डाक और तार का पूँजी परिव्यय जिसे राजस्व खाते से पूरा नहीं किया गया .	3,000
137	संचार विभाग का अन्य पूँजी परिव्यय .	40,00,000

विनियोग विधेयक

APPROPRIATION BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वितीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सामान्य बजट—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION

SHRI K. N. TIWARI (Bettiah) : The ruling party in its election manifesto pledged to solve the unemployment problem and to remove poverty from the country. Attention has been paid to these problems in the Budget presented by the Finance Minister.

The main problem before the Government is that of unemployment. It is said that there should be a ceiling on land which will help removing unemployment from the country. But I do not consider ceiling on land a remedial measure to get rid of the unemployment problem. This problem can only be solved by rapid industrialisation. It does not matter whether these industries are in small, medium or large sectors.

The Government is following the policy of mixed economy. We should not lay emphasis on public sectors alone. We have got examples before us that public sector undertakings are running under heavy loss. Durgapur Steel Plant is running in loss for the last several years and losses have swelled to hundreds of crores of rupees. The Railway Budget this year has also shown a deficite of Rs. 50 crores. Therefore, the idea of having more and more industries in public sectors is not appreciable. We should not bother for setting up of industries in public or private sectors. We are required to pay our attention to the fact that no industry, be it in public or private sector, is going in loss. The Government should takeover all those industries which are not functioning properly and running in loss.

Public sector industries running in loss should be dealt with skilfully. Labour unions are functioning in countries like Russia, China, Czechoslovakia, East Germany but there are no strikes at all. The Government in our country also should not tolerate strikes in public undertakings. Secondly labour interests in private sector industries may be served by extending more and more facilities and concessions to workers. Public sectors going in loss should not be allowed to continue any more in future. If the present state of public sectors goes on, it would prove disastrous to the country and create more and more unemployment instead of removing this from the country.

The fresh mandate has conferred all the powers upon the present Government, therefore, they should take immediate steps to stengthen the economy of the country and expand the industries. Public sectors industries should not be managed only by I. C. S. and I. A. S. officers since they are incompetant in the field due to lack of business experience. Technical officers should be given training so that management might be given in their hands in order to have increased production.

As regards ceiling on land holdings, I would like to say, individual of the family should be taken as one unit and not the family as a whole.

The Government have not levied taxes so for, but it does not mean that they are not going to impose taxes in the coming month. What I mean to say is that we should see that no taxes—income tax or agricultural income tax should be levied on agricultural sector which has started coming up.

Disparities in wages should be removed. Salaries of the officers getting three or four thousand rupees per month should be reduced and a substantial increase should be effected in the wages of low paid workers. We should endeavour to improve the existing conditions of our workers. They should be provided with more amenities and facilities so that their standard of living be raised.

श्री सरोज मुकर्जी (कटवा) : इस बजट से भारत सरकार की जो नीति प्रकट होती है उसमें पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास की व्यवस्था है। श्रीमती गाँधी सहित काँग्रेस के सभी नेता रात-दिन भारत में समाजवाद लाने का नारा लगाते हैं परन्तु बजट में समाजवादी विचारधारा का एक भी तत्व नहीं है। बजट का मुख्य सिद्धान्त यही प्रतीत होता है कि धनी और अधिक धनी होते रहें तथा निर्धन और अधिक निर्धन। यही कारण है कि आज भारत की अर्थ-व्यवस्था नष्ट होने की स्थिति में आ गई है और ऐसी अर्थ-व्यवस्था के आधार पर माननीय वित्त मंत्री देश के विविध क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं और अर्थ-व्यवस्था के विकास की आशा करते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि गत वर्षों में उन्होंने देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए बहुत से पग उठाये हैं और भविष्य में भी वह ऐसे ही पग उठायेंगे। परन्तु वस्तु-स्थिति कुछ और ही है। गत वर्ष से बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, कारखाने बन्द हो गये हैं और अभी भी घाटे का बजट पेश किया गया है।

वर्तमान बजट में 240 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि रिजर्व बैंक के ऋण बढ़ रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि घाटा और अधिक बढ़ेगा। इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण कीमतें बढ़ेंगी। एक दो वस्तुओं को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। समस्त देश के निवासी बढ़ती हुई कीमतों से त्रस्त हैं। मई में और कर लगाए जायेंगे। गत 23 वर्षों में हमने देखा है कि सरकार गरीबों पर कर लगाती है, पूंजीपतियों पर नहीं। जो कुछ कर पूंजीपतियों पर लगाये जाते हैं उन्हें या तो माफ कर दिया जाता है या कर हटा लिए जाते हैं। यही सरकार की मुख्य नीति रही है।

मंत्री महोदय ने रिजर्व बैंक से अधिक रुपया निकालने के लिए राज्य सरकारों को दोषी ठहराया है। हमारे विचार से ऐसा नहीं है। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय तथा मूल्य निर्धारण नीति के कारण राज्य सरकारों को ऐसा करना पड़ता है, उनकी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ जाती है। यही कारण है कि हमारे दल की सदैव यही माँग रही है कि केन्द्र द्वारा एकत्र किये गये राजस्व

(निगम कर तथा आय कर आदि के रूप में) का 75 प्रतिशत राज्यों में रहना चाहिए। इस आशय को क्रिया रूप देने के लिए संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। यदि केन्द्र वास्तव में राज्यों के विकास के लिए उत्सुक है तो यह संभव है। केन्द्र के पास राजस्व का 25 प्रतिशत पर्याप्त धन राशि है जिससे प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य तथा संचार आदि के कार्य चलाये जा सकते हैं।

बजट के अन्दर कोई नीति नहीं दिखाई पड़ती है। मंत्री महोदय ने वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं कराया है। हमारे देश में आज 7 करोड़ 80 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं और इस संख्या में प्रतिवर्ष 50,000 की वृद्धि हो रही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका विचार है कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिलाया जायगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। यदि एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है तब देश की पूरी बेरोजगारी किस प्रकार दूर की जा सकती है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे के शासन के समय 200 कारखाने बंद कर दिये गये थे। परिणामस्वरूप लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं तथा भूखे मर रहे हैं।

ऐसा कहा गया था कि हम विकासशील अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं परन्तु दिन प्रतिदिन लाखों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं।

हमारे नेता चह्वाण जी और इंदिरा जी मधुर शब्दों से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सैनिक शासन है। लगभग तीन महीने से वहाँ पर सैनिक शासन के उपरान्त कानून तथा व्यवस्था कायम नहीं रखी जा सकी है। पुलिस अधिकारी हत्यारों तथा गुंडों के साथ मिले हुए हैं और बड़े-बड़े व्यक्तियों की हत्यायें की जाती हैं।

अतः मेरा कहना है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कानून तथा व्यवस्था बिगड़ रही है। पश्चिम बंगाल में लोग हत्या के भय से भयभीत हैं। वहाँ से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तुरंत हटाई जानी चाहिए। बंगाल ही नहीं अपितु आंध्र प्रदेश तथा केरल से भी अत्याचार दूर किये जाने चाहिएं। केरल में सशस्त्र बल द्वारा 40 व्यक्ति मार दिये गये हैं। सरकार को चाहिए कि वह निकट भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत हो।

पूर्वी पाकिस्तान में लम्बे समय से लागू किये गये सैनिक शासन को वहाँ की जनता ने हटा दिया है परन्तु श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार वहाँ पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सेना के माध्यम से प्रजातांत्रिक आन्दोलन को कुचलना चाहती है।

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन के पश्चात् यू० एल० एफ० को 123 सदस्यों के साथ बहुमत प्राप्त हुआ। वहाँ पर मोर्चे के नेता श्री ज्योति बसु को सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए था। यदि वह सरकार बनाने में असफल रहते तो श्री विजय सिंह नाहर को सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए था परन्तु दूसरे दलों के साथ साझा करके जो वास्तव में बहुमत वाला दल है, उसे सरकार नहीं बनाने दिया जा रहा। यदि वे समझते हैं कि कांग्रेस सत्ता-रूढ़ सरकार बना सकती है तो दूसरे दल को नहीं कहा जाता है। यह संसदीय प्रजातंत्र का कार्य करने का सही तरीका नहीं है।

श्री चह्वाण ने अपने बजट भाषण में कहा की ऋणों की राशि बढ़ती जा रही है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि ऋण किन लोगों को दिये जा रहे हैं। किसी भी छोटे तथा मध्यम श्रेणी के कारखाने के मालिक को राष्ट्रीकृत बैंकों से उधार नहीं दिया गया है। 4 करोड़ परिवार हथ करघा उद्योग पर निर्भर करते हैं परन्तु राष्ट्रीकृत बैंकों से एक भी ऐसे परिवार को ऋण नहीं मिला है।

निजी थैलियाँ समाप्त करने के संबंध में मेरा विचार है कि हमें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना चाहिए। जिस ढंग से मुआवजा देने की बात कही जा रही है उससे तो नरेशों को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली राशि से भी अधिक राशि प्राप्त हो जायेगी। सरकार को चाहिए कि संविधान में आवश्यक संशोधन करे और किसी प्रकार का मुआवजा न दे।

प्रतिरक्षा बजट में 65 करोड़ रुपये की वृद्धि भी अनावश्यक लगती है क्योंकि हमें युद्ध का खतरा नहीं है। 27 अथवा 28 फरवरी के "इकोनोमिक टाइम्स" से पता चलता है कि भारत ने कुछ हजार डालर के मूल्य के उर्वरक दक्षिण वियतनाम को भेजे हैं। यह बात हमारी गैर-साम्राज्यवादी नीति के अनुकुल नहीं है। अतः हमारी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : श्रीमान् जी, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूँ। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें अपनी नीतियों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नये सिरे से मूल्यांकन करना होगा और इन नीतियों के क्रियान्वयन लिए हमें कार्यक्रमों को तेज़ी से और दृढ़तापूर्वक पूरा करना होगा, तभी जाकर हम आप की असमानता को दूर कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। मुझे आशा है कि मई में आगामी बजट भी इसी प्रकार का होगा और उसमें हम में से किसी के लिए कोई कर के प्रस्ताव नहीं होंगे।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है जिसका संबंध गरीबी से है। इसे दूर करने के लिए उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करनी होगी और हमें वे ढंग अपनाने होंगे जिनसे बेरोज़गारी तथा गरीबी अधिक से अधिक दूर हो सके।

मेरे विचार से भारत के लोगों की यह मानसिक प्रवृत्ति, कि एक व्यक्ति पर ही सारा परिवार आश्रित हो, ही एक सीमा तक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। यदि हम दूसरे प्रगतिशील देशों की भाँति अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन ला सकें तो इस दिशा में और अधिक सुधार किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बेरोजगारी दूर करने के लिए ही बनाये गये हैं। यद्यपि इन उपक्रमों में हानि हो रही है तथापि बेरोजगारी कम करने में इन उपक्रमों का बहुत सहयोग है। इन उपक्रमों को चाहिए कि बेरोजगारी कम करने के लिए लोगों के लिए भूमि तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराये।

बजट में गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ सिंचाई की समस्या हल करने

पर भी जोर दिया गया है। इस संबंध में नर्मदा परियोजना पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश भी इस बारे में समझौता करना चाहता है, यदि इन्कार है तो केवल गुजरात सरकार की ओर से है। यदि कोई समझौता हो जाये तो यह समस्या बहुत शीघ्र हल हो सकती है।

इसी प्रकार कई भागों में पीने के पानी की समस्या है। यदि गाँवों में तालाबों को और गहरा किया जाये और नदियों पर बाँध बनाये जायें तो पीने के पानी की समस्या शीघ्र हल हो जायेगी।

भड़ौंच जिले में बाढ़ तथा भूकम्प की भी समस्या है। वर्ष 1968 तथा 1970 की बाढ़ तथा 1969 के भूकम्प से समस्त जिला अस्त-व्यस्त हो गया। भड़ौंच में 12,000 मकानों में से 9,000 मकानों में दरारें पड़ गईं तथा वे निवास के योग्य नहीं रहे। इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए। भड़ौंच पत्तन के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है परन्तु अब मिट्टी जमने के कारण छोटी-छोटी नौकायें ही पत्तन में आ सकती हैं। भड़ौंच तथा दहेज पत्तनों का काफी हद तक विकास किया जा सकता है और इससे भड़ौंच जिले के लोगों के लिए काफी काम उपलब्ध हो सकेगा।

इस प्रकार भारत के समक्ष बेरोजगारी, सिंचाई आदि बहुत सी समस्याएं हैं। मुझे आशा है कि विपक्षी दल भी सरकार को सहयोग देंगे और इस प्रकार भारत की सब समस्याएं शीघ्र ही हल हो जायेंगी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट में दल के भारी बहुमत का उल्लेख किया गया है। यह विजय का समय आत्म-विश्लेषण के लिए है और हमें इस पर विचार करना है कि हम "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम किस प्रकार लागू कर सकते हैं।

इस संबंध में मैं सदन का ध्यान बेरोजगारी की ओर दिलाना चाहता हूँ। बजट में जिस 50 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है, वह बहुत कम है। यह राशि चार हजार ब्लाकों में वितरित की जायेगी जिससे कि एक परिवार में प्रत्येक कमाने वाले व्यक्ति को प्रतिमास 100 रुपये दिये जाने का लक्ष्य है। बजट से पता चलता है कि राज्य सरकारों को योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। परन्तु ऐसा लगता है कि ये योजनाएं खटाई में पड़ जायेंगी क्योंकि 50 करोड़ रुपये का एक तिहाई भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में ही समाप्त हो जायेगा। इस कार्यक्रम से गरीब ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं होगा।

यह बताया गया है कि 46 जिलों में विशेष विकास एजेन्सियाँ हैं। यह कोई नई बात नहीं है। योजनाओं में भी इन्हें स्थान दिया गया था परन्तु माननीय वित्त मंत्री को इनका सही मूल्यांकन करके यह बताना चाहिए था कि इन एजेन्सियों से इस 50 करोड़ रुपये वाली योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में बेरोजगारी की समस्या का रूप और भी उग्र है।

शिक्षित बेरोजगारों की एजेन्सियों को मान्यता नहीं मिल रही है। मेरा निवेदन है कि अशिक्षित व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं होता है।

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार अक्तूबर, 1970 तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या चालीस लाख थी। मगर आश्चर्य की बात है कि सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति मौन है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि बेरोजगारी प्रजातंत्र और समाजवाद के लिए गंभीर खतरा है।

एक दूसरी बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि मूल्यों में कमी हो रही है। उनके अनुसार निर्मित वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि भले ही हुई हो परन्तु खाद्य पदार्थों के मूल्य में 6 से 7 प्रतिशत तक कमी हुई है। गेहूँ के मामले में शायद यह बात ठीक हो सकती है, मगर चावल के मूल्य में कमी नहीं हुई है। मेरे इलाके में जहाँ चावल अधिक पैदा होता है, मूल्य में कमी नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि सरकार चावल का पर्याप्त स्टाक बना ले ताकि लोगों को जमाखोरों के रहमो-करम पर न रहना पड़े। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में खाद्य पदार्थों के राज्य व्यापार के बारे में जो संकल्प पारित किया गया था, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? देश में हालत यह है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही साथ मूल्य में भी वृद्धि हो रही है।

अन्य महत्वपूर्ण बात राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे विभिन्न राज्यों में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के पूँजी विनियोजन का विवरण प्रस्तुत करें। इस सरकार के प्रति मेरी शिकायत यह है कि यह सामाजिक न्याय, एकता और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही है। समाजवाद का मतलब केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच असमता को मिटाना नहीं है, परन्तु राज्य और राज्य के बीच असमता मिटाना भी है। भारत में अल्प विकसित राज्य हैं और विकसित राज्य हैं। कुछ राज्यों में हमेशा यह समस्या रहती है कि गैर-योजना व्यय को कैसे निपटाया जा सकता है। मगर कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ उनके पास अतिरिक्त धनराशि है। अतः माननीय वित्त मंत्री इस बजट का पुनरीक्षण करें और विभिन्न राज्यों के बीच जो असंतुलन है, उसे मिटाने का प्रयत्न करें।

जब संविधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया, तो यह बहुत अधिक सीमित था। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्तायोग की नियुक्ति की गई जो समय-समय पर राज्य सरकारों की अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के संबंध में सुझाव देगा। जब अनुच्छेद 280 संविधान में जोड़ा गया, योजना के संकल्प को पूर्ण रूप नहीं दिया जा चुका था। अब परिस्थितियाँ बहुत अधिक बदल गई हैं। आज कुछ राज्यों को प्रशासनिक व्यय का निपटारा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः वित्त मंत्री यह स्पष्ट करें कि ये राज्य सरकारें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी। श्री विद्याचरण शुक्ल ने अनुपूरक माँगों की चर्चा के दौरान कहा कि जिन राज्यों में कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, वे केन्द्रीय सरकार से ऋण की माँग कर सकते हैं। ये राज्य सरकारें ऋण का किस प्रकार उपयोग करेंगी ? उड़ीसा जैसे राज्यों ने इस प्रकार के ऋण के उपयोग के लिए

अपने तमाम अनुदानों का उपभोग किया है। अत: प्रश्न यह है कि उड़ीसा जैसे राज्यों को वित्तीय सहायता देने में सरकार क्या प्रगतिशील कदम उठा सकती है ?

आज गैर-योजना अनुदानों में भारी कमी आ गई है। संशोधित बजट में गैर-योजना अनुदान 141·83 करोड़ रुपए के थे। 1971-72 में यह 136·87 करोड़ रुपए का हो गया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों को इस से बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रश्न का एक अन्य पहलू भी है। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता में 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में है। मगर कुछ राज्यों के मामले में जैसे असम, जम्मु और कश्मीर, ऋण 10 प्रतिशत और अनुदान 90 प्रतिशत है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इसी प्रकार ही अविकसित राज्य उड़ीसा के मामले में यही मानदंड क्यों नहीं अपनाया जाता। उन से मेरा विनम्र निवेदन है कि तमाम आर्थिक मामलों में कुछ प्रगतिशील कदम उठायें ताकि अल्प-विकसित राज्यों का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो।

SHRI SHIVNATH SINGH (Jhunjhunu) : The hon. Finance Minister has not made any fresh proposals of taxes. I welcome this. But, at the same time, I would not subscribe to the view that the budget in which no fresh taxes are proposed is a perfect one. This budget should have given an indication as to what economic policy the government wants to pursue. We approached the people with a clear economic policy and they responded favourably to it. They put heavy responsibility on our shoulders. Unfortunately, this budget does not fulfil that responsibility. We want to uplift the poor, hungry millions. The budget provides Rs. 50 crores for providing employment to the unemployed, but it is quite inadequate. In this context, I would say that the gravest threat to our economy is from the capitalists. We know to what extent the capitalists prospered since independence. Uptill now they have derived the maximum benefit from Government. The people became increasingly aware of this threat and during the election they uprooted the capitalists. Therefore, the budget should have been such as would have fulfilled their aspirations.

New industries have spring up. But has the Government thought as to where all the profit goes ? Are the labourers, who are working for 16 to 18 hours a day, benefitted by this ? The budget does not give any indication. If we honestly try to solve the problems of the people, only then they will co-operate with us. But this budget has not made a good start in that direction.

There is a growing feeling among the people that green revolution is spreading to the length and breadth of the country and that progress is round the corner. When there is good monsoon, there will be good harvest. If the monsoon fails, there will be no more green revolution. Therefore, we cannot be complacent over the situation that exists to-day. The most important thing in this conection is that necessary amount should be provided in the budget to provide land, agricultural implements and other essential agricultural inputs to the peasants. Steps should be taken to provide electricity to the peasants. Small and big dams should be constructed wherever necessary. In this context, I would remind the Government of the Rajasthan canal. It is such a big canal that unless the Central, Government takes over the entire responsibility of the constrution of it, there is little chance of its being completed. Necessary provisions for this should have been made in the budget.

Steps should be taken to provide employment to the able and needy persons. The present provision of Rs. 50 crores is too inadequate to meet the problem. Similarity taxes should be imposed on the big industrialists who have amassed enormous wealth. All the major industries should be taken over by the Government.

The Privy-Purses and privileges of the former rulers should be immediatly abolished. No compensation should be given to them. I want the Government to make a declaration immediately to this effect. Similarity ceiling should be imposed on urban property. If the constitution needs to be amended, it should be done. The people will welcome this measure.

If we act honestly, keeping in view the aspirations of the people, we can avoid the threat of communism. The youth were attracted towards adventurism, just because they had no concrete economic programme before them. We have given them a concrete economic programme. We must implement it vigorously. We must fulfill the aspirations of the younger generation. I hope that the Government will make necessary provisions in the next budget for this.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 मार्च, 1971/5 चैत्र, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, March, 26, 1971/Chaitra 5, 1893 (Saka)

न्यू इण्डिया प्रिंटिंग प्रस, खुरजा।